AWARD DATED 16.10.99 PASSED IN THE CASE OF SIMPLEX ENGINEERING AND FOUNDRY WORKS UNIT III

Reference No. 2/ MPIR Act/ 96

General Secretary

Pragatisheel Engineering Shramik Sangh

Industrial Estate, Nandini Road,

Bhilai

....First Party

٧s

Manager

Simplex Engineering & Foundry Works

Unit III, Tedesera, Rajnandgaon

....Second Party

Before - Shri P.R. Pendse, Member Judge

On behalf of the First Party Shri S.L.Gupta, Advocate

On behalf of the Second Party Shri S.P. Dharmadhikari, Advocate.

Award dated 16.10.99

1. On being satisfied that an industrial dispute has arisen between the First Party and the Second Party and it cannot be resolved by any other means than a reference to arbitration, Deputy Secretary, Department of Labour, M.P. Government has made a reference of the industrial dispute in the annexures attached under Section 51 of the Madhya Pradesh Industrial Relations Act, 1960 (No. 27 of 1960).

The issues on which the opinion of this court have been sought are as follows:

- a) Is a revision of wages and allowances justified. If so, what should be the scheme of wages, dearness allowance and other allowances, and what direction should be given to the employer in this regard?
- b) Is it justified to grant 15 days casual, 10 days festival and 30 days medical leave. If so, what direction should be given to the employer in this regard?
- c) Is the separation from service of the employees mentioned in the annexure legal and justified? If not, then what direction should be given to the employer in this regard?
- 2. A Full Bench of the Hon'ble High Court, Indore Bench had, in regard to this case, in LPA's No. 155, 156, 162 & 163/96, passed its order dated 16.10.99 on consent of both parties. The substance of this order is that the order dated 31.5.95 passed by the Two Member Bench of the Industrial Court, M.P. vide which this case was considered maintainable is upheld, and the order of the High Court, M.P., Indore Bench dated 27.9.96 upholding the said order of 31.5.95 is also upheld. The case was then sent to this court for decision on merits. The important excerpts of this order are as follows:
 - "2. After arguing for a while LC for parties agreed for disposal of these appeals by the following consent order:-
 - 1) Industrial Court order dated 31.5.95 upholding the maintainability of reference and the writ court order affirming that order is upheld. In other words the reference made by the Government to the Industrial Court is found in order and would not be subject to any further objection by the appellants.

2) Any observations made by successive Benches of this Court touching the substance and merit of the dispute between the parties shall have no bearing in the disposal of the reference by the Industrial Court which shall proceed in the matter uninfluenced by any such observations if any, and in accordance with law.

It is in pursuance of the said decision/directions of the Hon'ble High Court of M.P. that this award is being passed.

- 3. It was the argument of the learned counsel for the First Party Advocate Shri S.L.Gupta that in the reply to the statement of claim filed by the Second Party though there was a signature of the competent person above the verification, but the verification of the same was not signed. The rule in respect of statements is, that unless the signature of the concerned party is affixed to the statement, such a reply cannot legally be considered to be a statement. When there were no statements at all of the Second Party in this case, then in the opinion of Shri Gupta, the Second Party had no legal right to adduce evidence. The evidence presented by them was not worthy of observation or consideration. Not much importance can be given to this objection today since vide the order dated 29.7.99 the Second Party has been permitted to sign the statements and according to the decision of Hon'ble High Court, Bombay (AIR 1961 Bombay Pg. 292) if signatures are affixed with the permission of the Court, then it will be presumed that such signatures were affixed when the statement of reply was presented.
- 4. It was the argument of the learned counsel for the Second Party Shri S.P. Dharmadhikari that it has been clearly written in the reply of their party that leaving aside Chiratkar, Madan Rai and Shivshankar, the persons mentioned in the annexure to the reference were not workers of the Second Party. That there was

never any relationship of master and servant between the Second Party and the said workers, since the Second Party did not exercise control of any kind over the work of these workmen. That is, neither did they pay wages, nor were they appointed by the Second Party, nor was their attendance filled by them. In this manner, since there was no relationship at all of employer and employee, thus under the M.P. Industrial Relations Act there was no dispute at all between the First Party and Second Party. Similarly no conciliation proceedings had ever taken place in this case. Neither was any report made as per Section 43 MPIR Act by the conciliation officer nor was such a report received by the court. He also expressed that it was very necessary for the State Government to have forwarded the report under Section 51(2) to the Court and in the absence of such report the case is not at all maintainable. In this context Shri Dharmadhikari, Advocate has also drawn my attention to the order dated 27.9.96 passed by Justice N.K. Jain of the Hon'ble High Court of Madhya Pradesh, the order dated 31.5.95 of the Two Member Bench of the Industrial Court and the M.P. Industrial Relations Act.

- 5. It was also the argument of the learned counsel that the First Party has not established that the workmen in favour of whom the case has been presented, are its members or that the First Party has a right to represent them. According to the Second Party, the First Party is not a Representative union. It was also their argument that in this case the employer is one, but the workmen are many, and owing to this, the said dispute does not fall in the category of Industrial Dispute as per Section 2 of the M.P. Industrial Relations Act. The dates of termination of service of all the individuals are also different, but all of them have been included in one case which is illegal. According to Shri Dharmadhikari, Advocate on these grounds the case is neither maintainable nor worthy of consideration.
- 6. It was also the argument of the learned counsel of the Second Party that while making the reference of this case the State Government did not at all exercise its discretion or apply its mind. Along with this case 15 other cases have all been

referred, whose terms are identical and the order of reference is also cyclostyled. Those documents have also not been made available to the Court, on the basis of which it can be understood as to how the State Government has been satisfied that there existed an industrial dispute between the parties. The State Government has also not tried to see that the reference is regarding the justification of termination of services whereas in the list there is mention of suspension of workers. It was also the argument of the learned counsel of the Second Party that merely to please one union that is the First Party or out of fear of it the Government has, without applying mind or discretion, mechanically made a reference and such an act of the State Government can only be called a whimsical act. In support of these arguments the Second Party has drawn my attention to case law of 1975 (11) LLJ Pg. 418, 1999 (1) LLJ Pg. 232 and 1987 (1) LLJ Pg. 141.

- 7. Shri Gupta, Advocate opposed the arguments. The substance of his reply was that with regard to maintainability of the case, the Two Member Bench of this Court and the Full Bench of the Hon'ble High Court have given a final decision. Shri Gupta has also drawn my attention to the order dated 31.5.95 of the Two Member Bench of this Court and to the Full Bench order of the Hon'ble High Court of M.P. delivered by the Indore Bench on 6.4.99.
- 8. The counter argument / reply of the learned counsel of the Second Party was that the decision of the Full Bench has only taken into consideration the order dated 31.5.95 of the Two Member Bench of the Industrial Court and the order dated 27.9.96 of the Hon'ble High Court. The objections which had been dealt with in those decisions cannot be raised again, but the parties are free to raise objections other than those and the Court should consider the same.
- 9. I have given serious thought to these arguments. As far as maintainability of this case goes, it is not open for argument or discussion. The Two Member Bench of the Industrial Court at para 20 of its order dated 31.5.95 has clearly decided that the

reference is maintainable and the Full Bench of the Hon'ble High Court of M.P. in its order dated 6.4.99 has also clarified that the reference made by the State Government is in order and the Second Party is not competent to raise any other objections in this regard. Here I consider it necessary to mention that if any objection regarding the maintainability of the reference was not raised earlier that was an error on the part of the Second Party. It should have raised all objections of this kind together, so that the Hon'ble High Court of M.P. could decide all of them at the same time. Though there is no legal bar on raising objections piecemeal like this, however such conduct is neither commendable, nor is it helpful in the early resolution of the case. Hence the arguments made by Shri Nair, Advocate are rejected.

- 10. Learned Counsel Shri S.L. Gupta has argued that there is no question of transgressing the subject matter or terms of the reference. This question is not at all to be looked into as to whose employees these persons are, that is whether they were employees of the contractor. Before sending the reference the State Government has accepted and has been satisfied that the persons mentioned in the annexure were the employees of the Second Party and that the Second Party had terminated their services. The subject matter of the reference itself is whether the separation from service of these workmen is legal and justified? So we have to presume that all these persons were the employees of the Second Party and their services were terminated by the Second Party. In support of his arguments regarding the limit, that is, scope of reference, Advocate Shri Gupta has drawn my attention to the decisions in 1997 (76) FLR 26 (Workmen of Manipal Power Press Vs P.O.E.T.), 1997 (75) FLR 802 (Modistone Ltd. Vs Industrial Court), AIR 1953 (Supreme Court) Pg. 53 (State of Madras Vs C.P. Sarathi), 1967(1) LLJ Pg. 423 and AIR 1959 (Supreme Court) Pg. 1191.
- 11. Another argument of the learned counsel for the Second Party Shri Dharmadhikari was that his party has from the beginning raised this objection that the above mentioned persons are not their employees, they are all workmen of

contractors working for the Second Party. The Second Party had no control of any kind over these workmen, and hence no effective order can be made in this case without making those contractors party. It was also the argument of Shri Dharmadhikari that in this case it is not only to be seen whether termination of services was justified or not, but it is also essential to see whether at all the persons mentioned in the annexure were the employees of the Second Party? These questions are closely related to the subject matter of the reference and are incidental to it and for this reason it is very necessary for this to be looked into. In support of his contentions Shri Dharmadhikari drew my attention to the decisions in 1981(11) LLJ 218 (Firestone Tyres Vs Its Workmen), 1991 MPLSR Pg. 91 High Court MP (Rajya Grameen Vikas Sansthan Vs State of M.P.), 1981(2) LLJ 218, BAIR 1970 (Supreme Court) Pg. 1334, AIR 1963 (Supreme Court) 569 and AIR 1989 (Supreme Court) 1565 etc.

It was also the argument of counsel for the second party that the act of reference of a case by the government is mainly an administrative act. By no means is it a legal or judicial act. Thus even if such an opinion might have been expressed in the said order of the government or its meaning or implication might be that an industrial dispute exists between the First Party and Second Party or that the persons mentioned in the annexure are the workmen of the Second Party, even then such an opinion is not binding upon this Court. It was also his contention that no proceedings of conciliation had taken place at all in this case and for this reason no opportunity at all of hearing had been afforded to the Second Party to place its point of view. It is not clearly written in the order of reference that the persons mentioned in the annexure are workmen of the Second Party. Nowhere before this, had it been the contention of the Second Party that the persons mentioned in the annexure are their workmen. Thus there is no legal restriction on the Second Party against raising this objection. Hence the Second Party is still competent and free to raise this objection in this court at the present stage that all the persons described in the annexure are not their workmen. They might be the workmen of contractors.

According to Shri Dharmadhikari, whether the said persons are their workmen or not? Whether their services were terminated by the Second Party or not? Or whether the workmen themselves did not want to work? And whether those persons were workmen of contractors? All these questions are clearly connected with the subject matter and also incidental to it and go to the root of the matter. Hence it is essential that they are given consideration.

13. I have seriously considered these arguments and citations. From perusal of the decisions of Hon'ble Courts cited by both parties one thing is certainly clear that Hon'ble Courts are of the clear opinion that this Court has to consider the matter within the subject matter of the reference, that is the terms of reference determined. This Court has no right to unnecessarily expand the limits scope of the reference. Despite this, it would not be appropriate or practical that the Court cannot at all consider those questions which are intimately related to the subject matter of the reference, which go to the root of the matter or which can be said to be incidental to the main dispute. In this case it is undisputed that no formal conciliation proceedings occurred, that is both the parties have not had the opportunity to canvass their opinion prior to coming to this Court. It has been made clear in the citations presented by the parties, in particular in the decision of Hon'ble High Court MP 1991 MPLSR 91 that incidental i.e. subordinate and subsidiary questions or facts may be considered. That matter was also a reference of termination of service of a worker. In that case also the reference was as to whether the termination was legal and justified? In that case an objection had been raised in the Court that the Second Party is not an industry and the First Party does not at all fall in the category of worker. These facts and objections had been considered by the Hon'ble High Court to be incidental to the main dispute and it had been held that the Labour Court had the jurisdiction to consider them. Even if it be presumed that the substance of the reference order made by the Government is that these persons are workmen of the Second Party, even then such an opinion is not a judicial one. Prima facie it does not appear that before expressing such an opinion both parties had been given an

opportunity of hearing or of adducing evidence. The official who has signed the order of reference, is not vested under any law with such powers as would render an opinion expressed or order passed by him binding upon this Court. Shri Gupta has not cited a single case in which it has been decided that questions or facts closely related to or incidental to the matter referred cannot be considered. Hence I arrive at the conclusion that the issues as to whose employees the persons mentioned in the annexure are, whether their services were terminated or whether they themselves abandoned their jobs, these are closely related to the main dispute and are incidental to it and for this reason can be considered.

- 14. One of the arguments of the learned counsel for the Second Party was that according to the order of reference made by the government, the justification of termination of services of the workmen is to be looked into. In the list of workers annexed to the order, after the names of the workers the words 'date of "suspension" is written, that is according to the list the workers have been suspended and according to the original order the services of the workmen have been terminated. According to the Advocate of the second party, the said contradiction is important. This Court has been vested with a limited jurisdiction in considering this matter, it has no powers to convert a matter of termination into one of suspension or a matter of suspension to a matter of termination. For this reason also this Court does not have the powers to consider this matter. In support of these arguments Advocate for the second party has drawn my attention to certain cases.
- 15. It was the argument of learned counsel Shri Gupta that separation from service is mentioned in the reference order, if the Labour Court is to look into anything, it is merely the names of the workers. If any other information apart from the names of the workers is written, then there is no justification in considering it. It was also Shri Gupta's contention that the jurisdiction of this Court is absolutely limited and it only has to consider whether the termination of service was justified or not. According to Shri Gupta objection of this kind had already been raised as a preliminary objection

the first of

earlier on by the Second Party. Those objections had been dealt with by the Two-Member Bench of this Court on 31.5.95 and the objections had been dismissed. Thus the objection does not remain open for consideration. In support of his contention, Shri Gupta Advocate has drawn my attention to the same cases, which he had cited earlier in context of ambit and scope of reference.

- I have considered these arguments. It is correct that in the reference order there is mention of termination of the workers, and in the annexure after the names of the workers there is mention of date of suspension. Undoubtedly this is a contradiction. Objection of this nature had also been raised earlier on as a preliminary objection. Along with other objections this objection was also dealt with by the Two Member Bench of this Court vide its order dated 31.5.95. On reading the said order it becomes clear that the objection of the Second Party was refuted to the extent that the entire case of reference could not be rejected on account of this contradiction, however it was certainly written in para 15 of the same order that the order of arbitration would be given only in regard to those workmen whose case was covered by the reference. And in the case of those workers not covered by the reference, no order of arbitration would be passed. Despite this I have studied the reply of the Second Party. The Second Party has not clearly stated that the workers mentioned in the annexure to the reference had been suspended and their services had not been terminated. On the contrary the substance of their reply is that all these persons had never been employed by the Second Party. The contractors working with the Second Party might have employed them. In the light of this reply I arrive at the conclusion that the contradiction between the reference order and the annexed list to which my attention has been drawn is not so fatal that the entire reference case be dismissed on that basis.
- 17. Another argument of the learned counsel for the Second Party was that as per the reference what has to be looked at is whether the separation from service of the workmen was justified or not? In the statement of claim presented by the First Party

it is written that the workers were dismissed and also that they were retrenched. In the list annexed to the statement of claim, there is mention of the date from which they have been deprived of work. Thus three different stands have been taken in this case, owing to this inconsistency also this case of reference is not worthy of consideration. Shri Dharmadhikari has drawn my attention to the decision in AIR 1967 Bombay Pg. 147. According to Shri Dharmadhikari dismissal, discharge, termination, retrenchment and deprivation from work are all distinct from each other and owing to this reason also the case is not worthy of consideration.

- 18. This argument has been replied to by Shri Gupta Advocate that as stated by Shri Dharmadhikari, Advocate several different words have been used. According to Shri Gupta Advocate, the mirage of these words does not substantially affect the case. According to him as far as this case goes, dismissal, discharge, retrenchment, termination and deprivation from work are all the same. What has to be investigated in this case is whether workers were thrown out of employment. In support of his arguments he has drawn my attention to the decision in AIR 1990 (Supreme Court) 1971. I have given serious thought to these arguments. As stated above, at three different places three different terms certainly have been employed, but in the ultimate analysis all the words mean the deprivation from work of the workmen, that is the separation from service. In my opinion, in the light of AIR 1990 (Supreme Court) Pg. 1971, to give importance to this contradiction and dismiss the reference case would neither be practical nor just.
- 19. The second important question which arose in the case was whether the services of the persons described in the annexure were terminated by the Second Party and whether the separation from service was justified? In this respect the argument of the learned counsel for the Second Party was that while framing term No. 3, the burden of proof of showing the justification of separation from service has been placed on the Second Party which is not appropriate. It was for the First Party to establish that the services of the workmen described in the annexure were

terminated by the Second Party, and that such termination was not justified. It was also the argument of Shri Dharmadhikari, Advocate that the normal rule in law of evidence is that the party which seeks relief from the court should prove its case. Certainly the Second Party has not come to the court to obtain any relief. It must be owing to the acts of the First Party that the case has been referred. The learned counsel for the First Party Shri Gupta has replied to this argument that it is no longer open for consideration or decision as to whether the framing of the third term of reference was appropriate or not. After obtaining the order of reference all that remains for us to see is how we can present evidence in accordance with it. When a case has obtained to inquire into the justification of separation from service, then the burden of proof lies upon the Second Party, and it had to fulfill its duty by presenting appropriate evidence. According to Shri Gupta Advocate the burden of proof for proving the justification of separation from service has been rightly placed upon the Second Party.

20. I have considered these arguments seriously. I do not think it necessary to consider this question in detail here in this case, since the circumstances of this case are somewhat different. It is also correct that the normal rule of law of evidence is that the party which comes to the court for relief should prove their case. Whichever way term 3 of the reference might have been framed, but it is correct that it was also the duty of the First Party to prove their case. In this case the First Party has only recorded the statement of one worker, whereas the case is of separation from work of 207 workmen. The substance of the reply made by the Second Party is that apart from the workmen at Serial Nos. 89, 98 and 145, all these workers were not workmen of the Second Party. According to the orders obtained by the Second Party they would get production done by the contractors. The contractors would get the production done by the workers and they would employ workers accordingly. The substance of the reply of the Second Party was that apart from 18 workers the workmen were all workers of those contractors and there was no relationship of master and servant between the Second Party and them. As written above I am also

of the opinion that ordinarily the party which comes to the court to obtain relief should prove its own case. Despite this it is also a principle that if the burden of proof lies upon one party to prove a certain fact, and if it fails to do so, the decision goes against it. In the present case the manner in which term no. 3 is framed, prima facie it appears that the burden of proving that the separation from service was justified lies on the Second Party. In my opinion, since the matter is one of termination of service which falls under labour laws, therefore without going further into the framing of term no. 3 it is my opinion that both parties should prove their own statements. If by the framing of term no. 3, the burden of proving the justification of separation from work has been wrongly placed on the Second Party, and if the Second Party gave so much importance to this, then it should have raised this objection seriously before the Hon'ble High Court of M.P. earlier on this, so that the court could have given an appropriate direction.

- 21. It was the argument of the learned counsel for the Second Party that right from the beginning it was contending that the workmen mentioned in the annexure could be workmen of their contractors. Unless those contractors are made party, no appropriate order can be passed in the case. In this context Shri Dharmadhikari cited the case of 1994 (Gauhati) Page 110. Shri Gupta Advocate rejected this contention. According to him, if that was the statement of the Second Party it should have carried out the procedure of impleading those contractors as parties.
- 22. I have considered these arguments also seriously. I am not in agreement with the contention of the Second Party. The first Party has not come to the court stating that they were employed by contractors, but that they were doing the work of the Second Party. It is the statement of the Second Party that the concerned workers were employed by the contractors, and there was no relationship of master and servant between these workers and the Second Party. And for this reason in the absence of the concerned contractors no effective order can be passed. In this manner if it was essential to make the contractors party, then steps should have

l toring

5 - 1 - 1 - 1

been taken in the appropriate manner at the appropriate time by the Second Party itself. In this situation, in my opinion the absence of contractors will not have any adverse effect on the interests of the First Party. Thus these arguments are also rejected.

23. An important argument of the learned counsel for the First Party Shri S.L.Gupta also was that the contentions of the Second Party - that the workers were not employed by the Second Party, that there was no relationship of master and servant between them and the Second Party, that the Second Party exercised no control over their work, that the officials of the Second Party did not fill in their attendance, that the officials of the Second Party did not supervise their work and neither did the officials of the Second Party pay their wages - all these are concocted and untrue. In reality the persons described in the annexure worked at the premises of the Second Party, for the Second Party itself. In order to know whose workers the persons mentioned in the annexure were in this case, it is necessary to see what work they were actually doing. Where were they working? Who used to supervise them? Who used to provide them with the facilities of raw materials etc.? Shri Gupta also expressed in his arguments that undisputedly they worked within the bounds of the industry of the Second Party in the shed of the Second Party. They were provided electricity, water, raw materials by the Second Party itself. It was also his argument that their work was also supervised by the officials of the Second Party, and in case of any defect in the work, it was the Second Party which used to direct its correction. It was the Second Party which handed over the finished product thus manufactured to the concerned person and obtained its price. In reality those whom the Second Party is calling as contractors are not contractors at all, they are merely nominal mediators. Such functioning is carried out by the Second Party to obtain improper and excessive profit and to deprive the workmen of their legal rights. In this manner rather than being a natural and bonafide arrangement this is merely an artificial and fabricated arrangement which is known as a "smokescreen", "camouflage" and "bogus paper arrangement". It was also the argument of Shri

Gupta Advocate that it was not appropriate or bonafide to give the said contracts. That the burden of proof lay upon the Second Party to prove that the concerned workmen were not workers of the Second Party and that they were workmen of the contractors. Neither has the Second Party produced the documents pertaining to the contracts in the Court, nor have they produced the appointment letters, Provident Fund records and attendance records of these workers. Under the Contract Labour (Regulation & Abolition) Act 1970, on account of being the principal employer, the Second Party has to keep certain records. Despite all the above records being in the possession of the Second Party, they have not presented the same, thus they have not fulfilled their duty and an adverse inference must be made against them for this reason. In support of his arguments Shri Gupta has cited AIR 1968 (Supreme Court) Pg. 1413, 1989 MPLSR Pg. 259 and 1997 LSR Pg. 443.

- 24. In support of his arguments Shri Gupta Advocate has drawn my attention to the decisions in 1978 (1) LLJ Pg. 312, 1997 (11) CLR Pg. 959 (Supreme Court), 1996 (11) CLR Pg. 770 (Bombay), 1995 (1) CLR Pg. 967 (Supreme Court), 1994 (11) CLR (Bombay) Pg. 537 and 1978 MPILC (Supreme Court) Pg. 495 and has stated that the entire contractual arrangement claimed by the Second Party is merely a paper arrangement, bogus and make-believe and nothing else. It is also the argument of Shri Gupta Advocate that while the decision of the Hon'ble High Court at 1999 MPLSR Pg. 393 cited by the Second Party is certainly to be respected, yet in the light of the decisions of the Hon'ble Supreme Court it is not of particular import. According to him when it is found that the Second Party has given contracts malafidely, then it is actually the Second Party which employs the workmen, and if by doing so it gains inappropriate profit or breaks the law, then the Second Party cannot be given the benefit of this decision.
- 25. The learned counsel of the Second Party Shri Dharmadhikari argued that actually the Second Party has no relationship at all with all the workers in the annexure, the contractors alone used to employ them, the contractors alone

supervised their work, they alone filled the attendance and they alone paid their wages. It was also the argument of the Second Party that there was no provision in the Contract Labour (Regulation & Abolition) Act that as soon as it came into force the contract labour system in all the industries all over the country would be ended. In order to end the contract labour system in any industry the appropriate government has to issue a notification to abolish it. The contract labour system had not been abolished in the industry of the Second Party. Shri Dharmadhikari, Advocate while drawing my attention to a decision of the Hon'ble High Court of M.P. has expressed that apart from the statutory canteen of the Bhilai Steel Plant, other canteens are also run there. All these canteens are run through a co-operative society whose position is like that of a contractor. The workers of this society had, in order to get themselves declared as workers of the Bhilai Steel Plant, filed a Writ Petition No. 1069/86 before the Hon'ble High Court in which a decision was also given on 26.6.87. According to this decision, apart from the statutory canteen the contractual workmen employed in all the other canteens have not been considered to be employees of the Bhilai Steel Plant. In this manner according to the Second Party there is no ban on employing workmen through contractors in their industry. In support of its contentions the Second Party has drawn my attention to the decisions in 1997 (11) MPLJ Pg. 620 (M.P.I.L. Vs I. Ramaiyya), 1991 LLR 516, 1992 LLR Pg. 166, 1999 MPLSR Pg. 393 (M.P. Gwalior Tank Vs G.T.B. Shramik Congress) and the decision dated 18.11.86 given in M.P. No. 2986/86 (Bhilai Ispat Mazdoor Sangh Vs SAIL). Shri Dharmadhikari argued that merely because of being employed through contractors or by working on the premises of the Second Party, and by giving undue importance to the definition of workman as stated in the MPIR Act by no means can the workers described in the annexure be considered workmen of the Second Party. It was also his argument that in the light of the decision of the Hon'ble High Court of Madhya Pradesh in 1999 MPLSR Page 393, it can only be concluded that that part of the definition of workman given in see 2 (13) of the MP Industrial Relations Act, 1960 which deals with the workmen employed by contractors is

impliedly repeated by the provisions of Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1970.

26. As far as the statement of the Second Party is concerned, it is very necessary to look into the evidence adduced by the Second Party that apart from three persons at Serial Nos. 89, 98 and 145, none of the remaining persons were workmen of the Second Party. Mainly it is to be seen whether those who are stated to be contractors had actually been given any contract. And whether those workers who are being called workmen of contractors did not have a relation of master and servant with the Second Party.

27. In this respect the statement of one witness Ramnet Vishwakarma was recorded by the Second Party. If the statement of this witness is studied closely, we find the witness states that he had taken contract for fabrication job from the Second Party. According to this witness, he used to prepare the job by cutting the plate according to the drawing. He had accepted that the Second Party used to get orders for preparation of jobs from outside. He used to get work done inside the factory of the Second Party. The witness also accepted that prior to giving the contract, the Second Party did not invite any tenders. The contractors used to be paid the rate after giving the drawing. The witness also accepts that the workmen of contractors and those of the Second Party used to enter and leave the industry by the same gate. The witness had also accepted that he has not studied engineering. The witness also states that on the job being okayed he used to receive payment every month. The witness also accepts that if the work could not be understood on the basis of the drawing or if there was any other difficulty, advice of the Engineers of the Company would be sought. The witness had also clearly accepted that whatever work orders the Second Party obtained, the entire work would be carried out by workmen of contractors, and when necessary advice of the Engineers of the Second Party would be sought. The similar statement has been given by the Second witness of the Second Party - Vishwamitra Prasad (Contractor).

- The Second Party got the statement of a witness Yogesh Mukund Dave 28. recorded. This witness, in his statement, had also accepted that Second Party used to provide raw materials to the contractors. The contractors use to carry out their work within the boundary of the Second Party the machines upon which the workmen of contractors used to work also belonged to the Second Party. Similarly when the product was finished, the Second Party would distribute it to the concerned parties and obtain its price. This witness has also admitted that prior to allotting the contract, no open tenders were invited. Apart from this the witness of the Second Party, Ramnet had stated that he had not submitted in the Court any document containing the names of the workers and the amount of Provident Fund deducted from them. The witness has also said that he used to maintain the attendance registers of the workmen but they are not before the Court. He used to maintain the payment register of the workmen, but that is also not submitted before the Court. The other witness of the Second Party Vishwamitra Prasad had said in his statement that he had been allotted a number for Provident Fund which was Exhibit D-737. He had also stated that the documents D-69 and D-71 had been sent to the Labour Department, but the witness has not been able to produce any evidence to show that these documents had actually been received by the Labour department. The witness has certainly submitted attendance registers, which are Exhibits D-73 and D-74, but these attendance registers nowhere contain the name of the contractor.
- 29. If the evidence addressed by the Second Party is studied, then *prima facie* it certainly appears that an effort has been made to call these two persons as contractors. These contractors have also presented attendance registers though in my opinion this evidence is not sufficient to prove that the workmen employed by so-called contractors had no relation at all with the Second Party. To establish that a contract had been given, it was essential to know what was the memorandum of Contract. That document has not been submitted. How was the payment made, in this respect also no evidence has been adduced. The contractors by themselves, were not qualified persons. Along side this the provision by Second Party of raw

material, water, electricity, place to work etc. shows that the plea which has been taken of giving out contract, is not a correct one. The Second Party has also not recorded the statements of all the contractors.

30. In my opinion, in this respect, the case law of 1978 MPILC page 495 (Hussain Bhai Vs. Alath Factory) Supreme Court, 1995 (1) CLR Page 967 (Gujarat Electricity Board Vs. Hind Mazdoor Sabha) and 1999 (1) CLR Page 959 are extremely important. According to all these decisions, to resolve the question as to whom a person is employed by, it is essential to look into the above mentioned facts. According to these decisions even if there is any mediator present between the actual employer and the workmen, then the mere presence of such a mediator does not have an adverse effect on the relationship between employer and employee. To see whether any person is actually an employee of another we have to see- who appointed him? For whom? Whom did he work for? Where did he work? Who provided the raw materials? And who obtained its benefit? All the above decisions are of the Hon'ble Supreme Court. In my opinion, the fact of any contractor being registered under the Contract Labour (Regulation & Abolition) Act 1970 is not by itself of particular significance when it has been established that the act of giving on contract rather than being bonafide or rational-is artificial, sham or mere paper arrangement. In the light of facts of the case and these decisions we can only conclude that in this case it has not been established that these persons were workmen of any contractor or any contract had been given.

31. It was the argument of the learned counsel for the First Party Shri Gupta regarding the behaviour of the Second Party, that the Second Party was always involved in anti-social and illegal activities. He expressed that the administration had fired upon a crowd blocking railway traffic at Power House Railway Station killing several workmen. The state government had appointed an Inquiry Commission to look into the justification of the police firing. There were serious adverse comment against the Second Party in the report submitted by this Inquiry Commission. The

then Assistant Labour Commissioner Shri Pandey had submitted his report before the Inquiry Commission. In this report also there were adverse comments against the Second Party from which it appears that the activities of the Second Party were never co-operative or in accordance with the law and that their aim was not to maintain peace and order in the industrial area. On the basis of both these documents an adverse inference can be made. Shri Gupta has expressed that though these documents have not been exhibited in this case according to the rules of the Law of Evidence, but looking to the labour cases, these documents can be considered and given proper importance.

- 32. It was submitted on behalf of the Second Party that the Report of the Inquiry Commission is not of any significance as far as resolution of this case. Neither is the report a legal decision nor is it binding upon this Court. It is also their argument that the report of the Assistant Labour Commissioner Shri Pandey cannot by any means be read in this case, and neither can the First Party obtain any benefit from the same. It was also their argument that Shri Pandey should have been examined and only after that, on the basis of his statement can any adverse inference or opinion be made against the Second Party.
- 33. I have given serious thought to these arguments. As far as the question of the Report of the Inquiry Commission, it is certainly to be respected since it has been prepared by a District Sessions Judge. On studying this report it appears that serious adverse comments have been made against the Second Party. Despite this however, since that Report is not binding on this Court, it would not be proper to form an opinion on the basis of remarks made in this alone. The question before that Inquiry Commission was the justification of police firing and the Inquiry Commission had not held the police firing to be unjustified. As far as Shri Pandey's Report goes, in that respect, I consider it adequate to note that if the First Party wished to criticise the behaviour of the Second Party, it should have got the statement of Shri Pandey

recorded to prove such accusations. Despite this, it is correct that in these reports the Second Party has been severely criticised.

- Shri Gupta Advocate has also argued that Shri Shankar Guha Niyogi was an 34. important leader of the organisation, Chhattisgarh Mukti Morcha. He was murdered in his house. In this murder case, the accused were Moolchand Shah, Chandrakant Shah and others who are among the directors of the Second Party. The State had instituted criminal cases against the accused for murder and collaboration in murder. In this case, the Sessions Judge had found the directors of the Second Party also quilty and punished them. In this decision, great reliance had been placed upon the document at Exhibit P 261. This document had been recovered from Moolchand Shah's place, who is among the directors of the Second Party. That document was the Action plan of the Second Party. In this document itself there was mention of encouraging rival trade unions and victimizing the workers. In that decision also serious remarks have been made against the concerned directors of the Second Party. Thus from this decision, it is revealed as to how unconstitutional and doubtful is the behaviour of the Second Party and for this reason it must be concluded that the story of contractors employing the workers is not true but is merely make-believe, fraudulent, anti-social and with the sole aim of transgressing the law.
- 35. It was argued on behalf of the learned counsel for the Second Party that the First Party is not at all right in this matter. Their main objection was that the decision cited by the Advocate for the First Party has been overturned by a Two Member Bench of the Hon'ble High Court of M.P. vide its order dated 26.6.99 in Appeal No. 1442/97 and 1278/97. When the decision has been overturned, any adverse comment contained in it becomes nonexistent. Apart from this, it was also their argument that even otherwise, this decision of the Sessions Court is not binding upon this Court. The dispute regarding termination of service of the workmen was not before that Court. For this reason also, the First Party cannot obtain any benefit from that decision.

- 36. I have given serious thought to these arguments. The directors of the Second Party were involved in that case. They had also been punished, but that decision is not binding on this Court. Certainly most serious adverse observations had been made against the accused in that decision, but when that decision has been dismissed by the Hon'ble High Court of M.P., then until the Hon'ble Supreme Court does not dismiss the decision of the Hon'ble High Court untill then it would not be appropriate to give the opinion against the Second Party by giving importance to the decision of that Judge.
- It was the statement and evidence of the Second Party that they had 37. employed only 3 of the workmen named in the list whose serial nos. are 89, 98 and 145. Apart from these they had not employed any of the persons mentioned in the list It was also the case of the Second Party that they did not terminate the services of any worker. According to the statement and case of the Second Party, on 19.11.90 Ashok Chiratkar Madan Rai Shivshankar, Devilal and Krishna Prasad along with other workers met the officials of the Second Party for increase in their wages and other matters. When they were told that because of the economic situation being bad, these demands cannot be adopted, then these workers did not go to work and they instigated the other workers who were workmen of contractors also, not to work. According to witness Dubey of the Second Party, notices had been affixed asking workers to come to work which are exhibited as D-82 to D-93. It was also their statement that Case No. 3/MPIR/91 had also been filed in the Labour Court and a temporary injunction had also been obtained on 21.12.95 which is Exhibit D-94. In this case, the final order was also passed on 21.12.95 and the strike was declared illegal. Despite all this, the workers did not come to work. The contractor Vishwamitra Prasad has given a statement to this effect and said that his workmen did not come to work from 20.11.90. In order to call them to work notices at Ex P-53 - P-62 were affixed. Individual letters were also sent to some workers appealing to them to come to work, the documents in respect of which are at Exhibit D-63 to D-67. This witness

has also given the statement that vide the notice of Exhibit D-67 notice had been given to the workers to come to work, but they did not come to work.

- Another contractor Ramnet has also given a similar statement. According to 38. him workers did not come to work from 20.11.90 For this reason, the notices exhibited as D-25 to D-35 were pasted, individual letters were also sent to some workmen, in respect of which the postal record is at Exhibit D-36 to D-37. In newspaper Dainik Deshbandhu. D-48 was published on 25.1.92. Despite this only one workman called Anian came for work and no other workman came. Both the contractors have stated that the workers themselves did not want to work and they have not terminated the services of any workman. On the basis of this evidence the learned counsel for the Second Party has argued that when the workmen themselves want on strike and did not come to work, then what can be the fault of the Second Party? Thus in this case, the Second Party is not at all at fault. It was also the argument of the Second Party that not only did the workmen not come to work, but they also indulged in hooliganism at the boundary and around the industry and created an atmosphere of terror. The Second Party had from time to time informed the Police Department about these antisocial activities of the workers. In this respect, Second Party got the statement of witness Ashok Sharma of the Police Department recorded. This witness submitted the documents Exhibits D-1 to D-19 and has given his statement on the basis of these documents. There is no reason to consider the statement of this witness to be untrue and on this basis also it appears that the conduct of the concerned workers was extremely antisocial and there was no fault of the Second Party in this.
- 39. The learned counsel for the First Party Shri Gupta argued that this statement of the Second Party is absolutely untrue and malafide that the workmen went on strike, or they did not want to come to work or they used to indulge in goondaism. It was his argument that the Second Party wanted to crush the movement of the workers somehow or the other and wanted to throw them out of work on some

pretext or the other. It was also his argument that if the workers committed some misconduct then the Second Party should have taken disciplinary action after issuing proper charge sheet. This they have not done, and they have concocted the fiction of pasting notices and publication in the newspaper. He also argued that there is no provision or system under the Standard Standing Orders, on the basis of which it can be concluded that if any worker does not come to work then it be presumed that he wants to leave the job, or he has left the job. It was also his argument that even if it be presumed that the Second Party came to this kind of conclusion, then even in that situation it is essential to see what was the actual wish of the workers. If the workers wanted to leave their jobs, then why would they have make efforts to get these cases referred. It was also his contention that even if it be presumed that the workers were on strike, even then this implies that the workers wanted to do their job but they wanted better facilities. That is, it cannot be concluded that they wanted to leave their jobs. Shri Gupta also expressed that the termination of services for not coming to work without any legal proceedings was violation of the provision of Sec. 83 of the M.P.I.R. Act. It was also his contention that if the workers have gone strike, then even in that situation they are authorised to come back to work, until their services are not properly terminated. In support of these arguments Shri Gupta has drawn my attention to AIR 1963 (Supreme Court) Page 1141, 1979 (1) LLJ Page 257 and decision in 1997 MPLSR Page 658 of the Hon'ble High Court of M.P.

40. I have seriously considered these arguments. If the entire case is studied, then prima facie we arrive at the conclusion that the workers were not coming to work. Was their not coming to work or their demand proper or not. That question has not been referred tin this case, if actually the workers were coming to work, or wanted to come to work, then why would the employer paste notices, file a suit in the Labour Court or publish a notice in the newspaper. Despite this the legal position remains that if the workers do not come to work, then in that circumstance they commit misconduct according to the Standard Standing Orders. There is provision of punishment for misconduct under the Standard Standing Orders. The witness of the

Second Party or the concerned contractors have not stated that they issued charge sheets to their respective workmen, that they conducted inquiry, and after such inquiry terminated their services. On the contrary, witness for the Second Party Ramnet has said in his statement that "despite being told time and again, these people did not come to work. Later on he presumed that these people had quit their jobs". A similar statement has been given by the other witness of the Second Party Vishwamitra Prasad. It was his statement that for reason of not coming to work, from 9 February 1992, he had removed their names from the rolls. The substance of the statement of the Second party on page no.11 of their reply to the statement of claim. And for this reason this implies that they wanted to leave their jobs. There is no provision in the Standard Standing Orders, on the basis of which for reason of absence of the workmen it be presumed that they do not want to work. In this respect, the decision of Hon'ble High Court of M.P. in 1997 MPLSR Page 658 which is based on the decision of Hon'ble Supreme Court in AIR 1963 (Supreme Court) page 1141 and AIR 1979 SC 582 is extremely important. In the light of this decision, the only conclusion that can be drawn is that workmen mentioned in the list annexed to the reference did not come to work because of some demand and on the basis of their absence it cannot be presumed that they had quit their jobs. Thus if the Second Party had come to any conclusion of this kind it was not legally proper. If they were unauthorisedly absent, then it was essential to take disciplinary action.

41. The Second Party has also not been able to prove by the evidence presented in the case, that any person or persons had actually been given contracts to work and that those who have been called workmen of contractors were actually workmen of contractors. On the contrary, what has been proved is that the workmen worked in the industry of the Second Party, for the production of the Second Party and with the electricity, water, raw materials and other facilities provided by the Second Party. Apart from those workers regarding the termination of whose services there is clear mention in the decision, it has also not been proved that the termination of services

of the remaining workmen was proper. Thus, the workmen deserve relief from the Second Party.

- 42. Ordinarily, the rule is that if the termination of the service is not found to be proper, then the workmen deserve the relief of our reinstatement with full back wages.
- In this case, as far as the relief of back wages is concerned, Shri Gupta has, 43. citing the decision in 1993 (11) LLJ 1238 and 1994 (68) FLR 389 contended that the workmen deserve full back wages. I have given serious considerations to these decisions. Despite these, the decisions of the MP High Court in 1989 MPLJ Page 457 and 1998 MPLSR Page 254 also exist. In the decision in 1998 MPLSR Page 254, Hon'ble Justice Shri A. R. Tiwari has expressed an opinion that back wages should be a clearly framed issue, there should be evidence adduced and only after that can an order for relief be given. In the present case, neither did the government clearly make this a subject matter, nor was a clear issue framed. In addition the termination of services is of the year 1990-91. The workers did not present the case in the Labour Court immediately within the period prescribed by the MP Industrial Relations Act. Later on in 1993, the case was referred by the government. In the case, out of 208 workmen, statement of the only one workman was recorded. But considering these facts in my opinion, there is no justification for directing back wages to the workmen mentioned in the Annexure. My opinion receives support from the decision of the Hon'ble High Court of MP in 1997 in MPLSR Page 658 (Tulsi Ram and others Vs. Rajaram Maize Products). In that case also the workmen had been given the relief of only reinstatement (without back wages) which the Hon'ble High Court had held to be proper.
- 44. Now the question arises as to the relief of reinstatement. As stated above, if termination of services is illegal then the usual rule is of reinstatement. There are some exceptions to this rule also, for instance when the relations of the parties are

not cordial or when reinstatement is not possible or whether reinstatement causes a new serious problem, then in place of reinstatement compensation may be directed.

- 45. The facts of the present case are that the case has been going on in this court for the last six years and the termination of services is said to be of the year 1990-91. In this long period certainly the workers of this case must have been employed elsewhere and there is also a possibility that they might have become permanent and settled there, and it was also the statement of the Second Party that it has taken other workers on the job. It may be imagined that those persons who are working with the Second Party would have become skilled and experienced in their jobs, and the workmen who have been separated from work will have lost practice in their job. There is also full possibility that those persons who are working with the Second Party would be having cordial relation with the Second Party. Contrary to this, from the arguments and evidence, it appears that the relations between the First Party and Second Party are not good, this would certainly effect the workmen mentioned in the Annexure, that is, there seems to be little possibility that there would be cordial atmosphere between the two parties. This could have an adverse effect on the production of the industry.
- 46. If these workers are provided the relief of reinstatement then the same number of workmen who are in work today will have to be thrown out of job. Thus in place of the workmen of the present case, serious problem of employment of the same number of other workmen will arise. It is my opinion that the Labour Tribunal should resolve the problem in such a manner that the problem should be resolved and no new problem should arise. In the above circumstances, in the present case, compensation in the place of reinstatement is the just and practical way out. This opinion of mine receives support from the Hon'ble High Court of MP in its decision in 1997 MPLSR Page 658 (Tulsi Ram and others Vs. Rajaram Maize Products). In that case, the Labour Court had given an option to the employer that either he should reinstate the workmen or pay compensation to them. According to the employer

during the case he had employed other workmen, the Hon'ble High Court had opined that by paying compensation according to the order of the Court, the employer could be saved from reinstating the workers. In that case, the amount of compensation was even less than the amount determined by me.

- 47. This case is of 208 workmen. The First Party has recorded the statement of only one witness. According to this witness, his wages were between Rs. 450/- to Rs. 500 /- and his period of service was about three years. Because the statement of no other workmen has been record this has to be accepted as the basis. In this circumstance, compensation of Rs. 20,000/- per worker would be adequate. In the light of the opinion expressed during the pendency of the case by Hon'ble Justice Shri A. R. Tiwari, that those who have not received much by their destiny or during their lifetime should obtain something more by the Law, this amount is proper. Looking to the lack of education of the workers, their number and the amount, apart from those workers who have been held in this decision to be clearly not deserving this relief, the Second Party will, within 40 days from today pay vide cheque from an account of any Nationalized Bank, the said amount of Rs. 20,000/- only to each worker described in the Annexure. This time period has been granted since a large amount has to be arranged.
- 48. Since the relief of reinstatement has not been granted, the burden of proving item number 1 and 2 were on the First Party. It has not submitted any concrete and forceful evidence, it has also not stated as to what the wages, allowances and facilities in the other industries around this area are. Thus it is not possible to set any standards or improve the standard in terms no. 1 and 2. The parties will bear their own costs.

Signed (P.R. Pendse) Member Judge Industrial Court of M.P. Bench Raipur रेफरेंस कुमाँच ०५/पम. यी. आई. आ १. एक्ट/७५

वस्ता विकेशी. प्रमातिशील हेंगी निवासि श्रीत्रक वेंच, अवहरदीयत हरटेट नींदनी श्रीह,

प्रथम प्रथ

TEN.

(4)

तिभ्यतेषत वा निर्देश निर्मिटेड . उरला युनिट जा रायपुर .

वितीय पश



त्रमधः अन्तर्भाषा विकार विक्रितः तयस्य जयः ।
प्रथम पथः की और ते की एस० चन्तर मुख्याः, अभिमाधकः ।
प्रितीय पधः की और ते की कें एस० धनुवाः, अभिमाधकः

हैं। इस सचिम, सम विमाण, में पूर शासन ने यह संतीस हो ने हैं पर कि प्रमुख की पर विद्यास के मध्य भी घी गिर्म कि प्रमुख उत्पाल की नमें हैं जोड़ स्थान समामान पैथ निर्माण संदर्भ किये जाने के अतिरिक्त अन्य किती मार्न से संस्थान की के प्राप्त अन्य किती मार्न से संस्थान की है, धारा 51 म.पू. औधी गिर्म तिथ्य अधिनियम 1960 है कुमांच 27/1960 के अंतर्गत संस्थान अनुतृष्यियों में निर्मित श्रीयों गिर्म पिया ये पिया में निर्माण की संदर्भित किया है।

पिन प्रनिष्य इत न्यायानय ते ना यादा नया है, वे निन्नानुताय है।

> अ. क्या वेशन वर्ष अरलों के युवरीक्षण का अरेथिय के १ याँच का तो वेशन, मेक्षण के मत्ता एवं अन्य मत्ता की क्या योजना कोना पाकिये एवं इत तर्बंध में नियोजक की क्या निर्देश दिये जाना पाकिये १

का तथा पृति वर्ष 15 दिन का आकृतिमक अवकाश, 10 दिन का तथीक्षारी अवकाश तथा 30 दिन का विकित्तः। अवकाश थिये जाने का औषित्य है कु यदि हाँ तो इस संबंध में नियोजक को क्या निर्देश दिये जाना पाकिस ?

तः वया तीलग्न परिशिष्ट में उल्लेखित एम्पलाईय का तेवा

1/2//

पूर्वकीकरण देश सर्व उधित है १ यदि नहीं तो इस तंबंध में नियोजक को क्या निर्देश दिये जाना वाहिये १ इत प्रकरण के तंबंध में माननीय उद्य न्यायालय, माजूर

(2)

पूर्णिति ने इत्योद ते सन् गी. र. इमाँच 155, 156, 162 व 163/96 में विनाय 6-4-1999 को उमयवस्थ की तक्ष्मति यह अपना आद्या पारित किया । इत आद्या का ताराँश पढ़ी है कि औद्योगिक क्यायानय, मण्डल की दि-तदस्यीय खेडपीत के द्वारा दिये गये निर्मय दिनाँकित 31-5-95 जितके द्वारा इत पुकरण को पौक्णीय माना गया था, वह तथा उस आद्या को उपित ठडराते हुए माननीय उच्च क्यायानय, मण्डल की खेडपीत के द्वारा इंदौर ते दिनाँक 27-9-96 को पारित निर्मय उपित है तथा पुकरण इत क्यायानय को गुण-दीच पर निर्मित करने के निर्मय गया । इत निर्मय के महत्त्वपूर्ण और निर्मानुतार है 1-

- *2. After arguing for a while LO for parties agreed for disposal of these appeals by the following consent order -
- 1) Industrial Court order dated 31-5-95 upholding the maintainability of reference and the writ court order 27-9-96 affirming that order is upheld in other words the reference made by the Government to the Industrial Court is found in order and would not be subject to any further objection by the appellants 7. Any observations made by successive Benches of this Court touching the substance and marit of the dispute between the parties shall have no bearing in the disposal of the reference by the Industrial Court which shall proceed in the matter uninfluenced by any such observations if any, and in accordance with law."

भागतीय उरम न्यासालम, मन्यु के असे निर्मार निर्मार

प्रातन में यह अधार्ड पारित किया पा रहा है।

٠,

हैं विश्व में विश्व में अधिवन्ता की एत. एत. गुण्ता का यह तर्क आ कि इस प्रकरण में दितीयपक्ष की और स्टेटमेक्ट ऑफ क्लेक का उत्तार है जिया बदाया है जो प्रतास किया गया है, उस पर दितीय यह की और ते किसी सबक्षम व्यक्ति के वे सत्यापन के नीचे तो हम्ताबर हैं, किन्तु सत्यापन के जगर य अभिवयमों के बाद बस्ताबर नहीं है । अभिवयमों के संत्य वस्ताबर नहीं है । अभिवयमों के संत्य में जो नियम हैं, उनके अमुतार जब तक अभिवयमों पर संवैधित यहना र के हम्ताबर नहीं होते हैं, तब तक उस उत्तर को वैधानिक वृद्धित से अभिवयम महीं कहा जा सक्षा है । जब इस प्रकरण में दितीयपक्ष के कोई अभिवयम ही नहीं हो तो उस स्थिति में बी गुण्ता के मत में दितीयपक्ष को प्रमाण प्रस्तुत करने का कोई वैधानिक अधिकार ही नहीं था । उनके द्वारा को भी प्रमाण प्रस्तुत किया गया है, यह अवलोकन या विधार करने योग्य ही नहीं है ।

\$5 किया कि जिन समिकों के निये यह पुकरण प्रस्तुत हुआ है, ये उतके तदस्य हैं य उनका प्रतिनिधित्य करने का प्रथमपश्च को अधिकार है। दितीयपश्च के अनुतार प्रथमपश्च रिप्रेडेन्टेटिय यूनियन नहीं है। उनका यह भी तर्क था कि अत प्रकरण में नियोचता तो स्व हैं, किन्तु समिक अनेक हैं, इत कारण भी उपरीचत विवाद में पूर्व विवाद से अनुतार औद्योगिक संबंध अधिनियम की धारा 2 के अनुतार औद्योगिक विवाद की केणी में नहीं जाता है। तभी व्यक्तियों की तेवा तमाण्ति की तारी में अन्य-अलग है, किन्तु तम को एक प्रकरण में तिम्मलित किया गया है, जो अवेध है। सी क्लूबर के अनुतार इन आधारों पर यह प्रकरण न तो पोद्मणीय है, न विवार करने योग्य ही है।

ई ६ वी गुण्ता अधियवता ने इन तक वा विद्या किया । उनके उत्तर का तारांश यह था कि प्रकरण की पोक्मीयता के तंबंध में इत ज्यायालय की दिक तदस्यीय खंडपीठ के दारा तथा माननीय उच्च ज्यायालय की पूर्णपीठ के दारा अंतिम निर्णय दे दिया गया है । भी गुण्ता ने भी मेरा ध्यान इत ज्यायालय की दि—तदस्यीय खंडपीठ के निर्णय दिना कित ३।→5-95 तथा माननीय उच्च ज्यायालय मानव वा पूर्णपीठ के निर्णय जो कि इंदीर पीठ से दिना कि 6-4-99 को दिया गया है, की और आकर्षित किया ।

//5//

इत्थे दितीयपश्च के विद्वान अधिवनता का प्रति तर्क/उत्तर यह था कि पूर्णिय का वो निर्णय है, उतने अधि निर्णय न्यायानय के विश्वय पिना विश्वय निर्णय दिना कि विश्वय कि निर्णय दिना कि 27-9- कि वह ही विद्याद किया है। वे निर्णय विश्व आपत्तियाँ का कह दिये गये हैं, उन अपित्तियाँ को तो पुनः नहीं उठाया जा तकेगा, किन्तु उन आपित्तियाँ के अनामा अन्य आपित्तियाँ उठाने को पक्षकार त्वतंत्र हैं व न्यायानय की उन वह विद्याद कहना पाहिये।

हैं हैं हम तर्जी पर मैंने गैंगी रतापूर्वन विवाद किया । जहाँ तम हत पुनरण की पूर्विमीयता का पुत्रम है, यह प्रश्न अस तम या निर्णय करने ने निष् कुना नहीं है । अधि निम स्थायानय की दि—तदत्यीयपीठ के दारा अपने निर्मय दिनाँ कित अ 1-5-95 के यद प्रमांक 20 में स्थान्य स्थायानय, मठपूठ की पूर्णमीठ ने अपने अपने अपने वाद्या किता मंगनीय उच्य स्थायानय, मठपूठ की पूर्णमीठ ने अपने आदेश दिनाँ किता 6-4-99 में भी यह स्थाद कर दिया है कि राज्य शातन के दारा में आ हुआ तदने पुकरण नियमानुतार है तथा हत तैर्थय में कोई और अपपरित्या दितीयपक्ष उठाने के निय तक्षम नहीं है । यहाँ में यह निक्ना आवश्यक सम्बता हूँ कि यदि कोई आपरिता तैर्म की पोच्योयता सामत पूर्व में नहीं उठाई गई थी, तो यह दितीयपक्ष की मुद्धि थी । उते हत पुकार की तभी आपरिताया एक तथ्य प्रश्नात करना थी, ताकि उन तभी का निराक्षण एक तथ्य माननीय उच्य स्थायानय, मठ पूठ कर देता । इत प्रकार दुकहों में आपरित्या उठाने को वैधानिक बाधा तो नहीं है, किन्तु रेता करना न तो प्रशेतनीय है, न रेता करना प्रवर्श के शीम निराकरण में मदद ही करता है । अतः भी एक्टक बनुवा अध्यक्त के शीम निराकरण में मदद ही करता है । अतः भी एक्टक बनुवा अध्यक्त के दिता है सारा प्रवृत्त में स्था की करता है । अतः भी एक्टक बनुवा

हैं हैं विद्यान अधिवनता भी रत. रन. गुण्ता ने यह तर्न प्रतृत किया कि तदर्भ की जो विद्या क तूची या विद्या वरत है, उत्ते बाहर जाने का कोई पृश्न की नहीं उठता है। अब यह पृश्न देखा भी नहीं जाना है कि ये व्यक्ति किसके ब्रिक हैं अर्थात ठेकेदार के ब्रिक हैं क्या क तदर्भ मेजने के पूर्व राज्य शातन यह मान पूका है व वह तंतुक्ट हो पुका है कि परिशिक्ट में उन्ने बित व्यक्ति विद्यान दितीयपक्ष के ब्रिक है व उनकी तैवार्य उत्ते ही तमाण्त की है। अब तदर्भ की विद्यावनतु ही यह है कि क्या हम ब्रिकों का तैवा पूथकीकरण वैद्या व उचित है है तो यह मानकर ही चलना है कि ये तभी व्यक्ति दितीयप्रम

के ही ब्रामिक ये व इनकी तैयार्थ दिलीयनक्ष में तमाण्या की थी । तैयमें के तीमां अथित स्काय के लेक्य में जी मुख्या अधिकायता में अथित तकों के समर्थन में 1997\$76\$ एक एक आर. 26 किमीन मनीयान यावर प्रेत विक्य पी. औ. ई. टी. है 1997\$75\$ एक एक आर. 802 हैमीबी स्टीन कि विक्य ईडास्ट्रीयन कोर्टई व ए-आई आर. 1953 हैस्प्रीय कोर्टई पूक्त 53 हैस्टेट ऑफ बद्रास विक्य सी. पी. तराठीई, 1967 है। इस एक एक के युक्त 423 तथा ए-आई आर. 1959 हिस्सीय कोर्टई पूक्त 1191 के निर्मा की और मेरा ध्यान आकर्षित किया ।

दितीयप्रव के विद्धान अधिवक्ता की बनुजा का एक तर्क यह भी था कि उनका पक्षकार प्रारंश ते की यह आप दिल उठाता रहा है कि उपशेषत च्याचित उनके श्रामिक नहीं, ये, वे तभी दितीयपश्च के यहाँ काम करने वाने ठेकेदा ही के सामक ये। सन अभिकाँ पर किसी भी प्रकार ते द्वितीयमध्य का नियंत्रण नहीं था व इत करका विना उम ठेकेदारी को पक्षकार बनाये इत प्रकरण में की ई प्रभावशील आदेश दिया ही नहीं जा तकता है। भी बनुषा का यह भी तर्क था कि इस पुकरण में कैयन यही नहीं दिखना है कि तेवा सवाचित उचित है या नहीं, दिन्त यह देवता भी अर्थत जानायह है कि परिविध्य में उन्नेधित च्याचित दितीयपश्च के समिक भी ये या नहीं १ वे प्रश्न तैयमें की विकायपुरुष्ठ ते विष्कृत निकटता ते तर्विधित है व संगटनियारिय है व इत कारण इनका विधा वाना अर्चत आवायक है। भी बनुजा ने अपने तकों के समर्थन में 1981 \$11\$ रम. रम. वे. 218 हेक्स यह तटी म टायह विक्रा उनके प्रतिवाह, 1991 रम. पी. रस. रस. अर र. पूक्क १६ उच्च न्यायालय मध्य ० १ राज्य ग्रामील विकास तरथान विकास रहेड अपि म. पु. है. 1981 हुँ 2ह एत. एत. वे. 218 व ए. अगई अगर. 1970 हुतुपीम कोर्टह पुष्रत । ३३५, वः आर्षः आरः । १६३ व्याः ती : ५६७ व वः अर्थः अर रः । १६७ व्याः ती : १५६ आदि के निर्मार्थों की और मेरा ध्वान आवर्षित किया ।

है। है जनुषा का यक भी तर्व या कि शातन के दारा प्रकरण संदर्भित करने की कार्यवाही मुख्य क्या ते पृशासकीय कार्य है। किती भी दृष्टिष्ट ते यह कार्यवाही स्वार्यक या क्यायालयीन नहीं है। अतः मठ प्र0 शासन के दारा उस आदेश में यदि यह मत व्यक्त किया भी गया होना या उसका यह भावार्य या अश्वय भी हो कि प्रथमपश्च व दितीयपश्च में अश्वयोगिक विवाद विश्वमान है या परिकार में उत्तिथित व्यक्ति दितीयपश्च के क्रिक है, तो भी यह मत

अत ज्यायालय पर वंश्वकारक नहीं है। उनका यह भी तर्क था कि इत प्रकृतका में कि तिनियंत्रन की कोई कार्यवाड़ी तो, हुई ही नहीं थी य इत कारण हिंद्रीयपृष्ट की अपनी काल या अपना पक्ष रक्षने का या तुनाने का अध्वत ही निया गया था। तैयन के अपना में यह स्पन्य नहीं तिया गया है वियो गया था। तैयन के अपना दिलीयपृष्ट के कार्यक है। कहीं भी आप के पूर्व दिलीयपृष्ट का यह कहना नहीं रहा है कि तैयन ते तैयन प्रितियम की यह करना महीं रहा है कि तैयन ते तैयन प्रितियम की कोई वियोग भी रोकता नहीं है। इत कारण यह इत न्यायालय में अब भी यह आपालत उठाने की तथन य स्वतंत्र है कि यह शिक्ट में याचित तभी व्यवित उनके क्रियम य स्वतंत्र है कि यह शिक्ट में याचित तभी व्यवित उनके क्रियम व स्वतंत्र है क्रियम हो तकते हैं। की क्षणा है अनुतार उनत व्यवित उनके क्रियम है या नहीं १ उनकी तैयाय दितीयपृष्ट में तमाच्या की या नहीं १ या क्रियम स्वयं काम यर जाना नहीं या हते में स्वयं तमाच्या की या नहीं १ या क्रियम स्वयं काम यर जाना नहीं या हते मे स्वयं तमाच्या की या नहीं १ या क्रियम स्वयं काम यर जाना नहीं या हते में स्वयं तमाच्या की या वहीं १ या क्रियम स्वयं काम यर जाना नहीं या हते में स्वयं तमाच्या की स्वयं वियोग की स्वयं वियोग की स्वयं ही स्वयं वियोग स्वयं हो स्वयं वियोग स्वयं हो स्वयं हो स्वयं हो स्वयं हो स्वयं स्वयं हो स्वयं स्वयं हो स्वयं हो स्वयं हो स्वयं हो स्वयं स्व

मेंने इम तकरें पर व ज्याय दूष्टाति वर गंभी रता पूर्वक विचार \$128 किया । योगी पश्च की और ते प्रत्तुत माननीय क्याधानयों के निर्णयों के अवनीक्ष्य ते एक बात ती निश्चित स्पट्ट होती है कि माननीय स्पायानयाँ के यह स्पष्ट मत है कि शासन ने सदर्भ की जो विश्वयवस्तु अर्थात दर्भ निर्धारित की है, उत्ते अंदर की इस स्थायानय की विचार करना है। संदर्भ की तीमा/ रकीय की अनायतयक बद्दाने का अधिकार इत ज्यायालय की नहीं है। इंस्के बा वजूद यह तीयना भी उचित व व्यावहारिक नहीं होगा कि रेते प्रश्न की ंसंदर्भ की विश्वपथरता ते अरचेत निकटता ते जुड़े ही, की पुकरण के मूल तक जाते हैं अर्थात जिन वर विवाद किये किया मुख्य विकास का मिराकरण ही ही महीं तकता है अथवा जिल्हें मुद्द्य विवाद के इंतीइंटन कहा का तकता है, उन पर विचार किया ही नहीं वा तकता है। इस प्रकरण में यह निर्विदादित है कि बीत निवेशन की अविचारिक कार्ययाही नहीं हुई अर्थात दीनी ही पश् की अपना अपना पक्ष ज्यायालय में अने के पूर्व कर्दी भी स्थन का अवसर नहीं मिना । पक्षकारी दारा प्रस्तुत स्याय दुष्टांती विशेष रूप ते माननीय उपय 1/8//

म्यायालय, माजूत के निर्वय 1991 एम. यी. एत. एत. आ र. १। के निर्वय

में स्पष्ट किया गया है कि इंतीहेंटल प्रामी अर्थात अन्य कार्यकार करि प्रामी या तथ्यों पर विवाद किया का सकता है। वह प्रकरण भी कमिन की तेवा तमाप्ति का तंदर्भ था। उत्तमें भी तंवर्भ पड़ी था कि क्या तेवा तमा दित वैध व उचित है ? उत्में न्यायास्य में यह आयरित उठाई नई थी कि दितीयपंच उचीन नहीं है व प्रथमपद्म कांग्रक की केगी में आता ही नहीं है। अन तथ्यों या अपि शिलमी की मानमीय उच्च म्यायालय ने मुक्ष्य विवाद का इंतीडेन्टन माना था व यह निर्मित किया था कि उन पर विवाद करने का केना-धिकार/धियाराधिकार बम न्यायालय की था । नगमन यही रिवति वर्तमान पुकरण की है। यदि यह माना भी जावे कि शातन के ढारा पुकरण तदार्मित करने के अरदेश का यह ताहाँश है कि वे स्थावित दितीय-यक्ष के अभिक हैं, तो भी यह मत न्युत्यालयीन निर्णय नहीं है। पुष्य-दुष्टया यह पुकट नहीं होता कि यह मत स्थवत करने के यूर्व उम्मयम्ब को प्रमाण प्रतित करने का या तुलवार्ध का अधनर दिया गया था. जिल अधिकारी ने उत्त अधिका पर हत्ताक्षर किये है, यह किसी विधान के अंतर्गत रेते अधिकादी ते पाँदपूर्ण नहीं है, कि उतके पारा पराँदत मत या आदेश की अत ज्यायालय यह बैधनकारक माना जाते । की मुस्ता ने एक भी ज्याय देखदात ऐता प्रस्तुत नहीं किया जितमें यह निर्णित किया हो कि तैदर्भ प्रकरण में इंतीडेस्टल या निकटता से मुद्दे हुये प्रवर्गी पर,तथ्यों पर भी विधार नहीं किया जा तकता है। अतः मेरर यह निष्कर्ष है कि परिशिष्ट में उल्लेखित स्मिपित किती क्रिसक हैं, उनकी तेवार्षे तमाप्त की गर्श या पह त्ययं मीकरी छोड़ गये, यह मुख्य स्थिताव ते निकट ते तंबीधार है व इंतीहेन्टल है व इस का रण इस प्रकरण में इत क्षम बातर पर विधार किया जा तकता है।

\$1.38 दितीयपश्च के विद्वान अधिवकता श्री खनुजा का एक तर्क यह
था कि शाहतन के दारा प्रकरण तदिर्भित करने का जी आदेश मेजा गया है.
उत्तक अनुसार श्रीमकों के तथा पृथकी करण के औधित्य की देखना है।

उस आका है तैनण समिन की वो तृथी है, उतमें समिन के नामों है

अने " निनम्बन " का दिलाक निवा हुआ है अर्थात तृथी के अनुनार
समिन की निर्नेश्वत किया नथा है तथा भून आदेश है अनुनार समिन की तथा की निर्मेश की निवार तथा की नाई है। भी खनुआ अधिक का है अनुनार उपत

विद्या मात महत्त्वपूर्ण है। इस न्यायालय को क्ष्म प्रकरण में दियार

बहते तमय ती मित देशाधिकार प्राप्त है, तेवा तमाप्ति के पृकरण को निर्मेशन

है पृकरण में परिवर्तित करने का अथवा निर्मेशन के पृकरण को तेवा समाण्ति

है पृकरण में परिवर्तित करने का सत न्यायालय को अधिकार नथीं है, इत

कारण भी हम पृकरण पर विधार करने का अधिकार न्यायालय को नहीं

है। की बनुवा अधिवकता ने अपने तकों के समर्थन में उन्हीं न्याय कुटती हैं

की और मेरा ध्यान आवधितिका, जो उन्होंने उपर न्यायालय है

विद्वाम अधिवक्ता भी गुण्ता का यह तर्क था कि सैदर्भ के आदेश में तेवा पूपकीकरण का उल्लेख किया गया है, उस आदेश ते तंतरण परिविद्ध में इत स्थापालय की पवि कुछ देशना है, तो देवल सम्मिष् का नाम देखना है। व्यावहाँ के नाम के अनावा और यदि की है माबिती लियी है, तो उते देवने का कोई औषित्य नहीं है। की गुण्ता का यह भी तर्कथा कि इस पंचायालय का विचाराधिकार बिल्कुन तीमित है तथा उते यही देवना है कि तैया तमाप्ति उचित है या नहीं १ की गुण्ता अधियक्ता के अमुतार इस प्रकार की आपित्ति प्रारंभिक आपित्ति के रूप में दितीयपथ ने पूर्व में भी उठाई थी । उन आप रिलयों का निराकश्य इस म्यायालय की दि-सदस्यीय खंडपीठ ने दिनाँक 31-5-95 को कर दिया है तथा उम आपरितायों की निरस्त कर दिया है। इस प्रकार अब यह अर्पिटिश विवाद के लिए होस्स मही है। की गुण्ताअधिवकता ने भी इत तर्क के समर्थन में उम्बी ज्याय कुटाती की और मेरा ध्याम आकर्मित किया. जो उम्हाँने पूर्व में तदर्भ के ^{Scope} व Doube के तेंग्रीए में पृहतूत किये थे। मैंने इन तकी पर भी विधार किया। यह तकी है कि सैवर्भ के आदिता में कांमकों के तेवा प्रथमीकरण का उत्तिथ है तथा उत्तति तंलरन परिशिष्ट में अभिकाँ के माम के आगे मिलम्बन की तिथि का उरलेख

है। अविवादित स्व ते यह विद्याभात है। इत पुरुष की भी

आयरित प्रारंभिक आयरित के रूप में पूर्व में भी उठाई गई थी । अच्य अविकास के ताथ इत अविकास का भी निराक्त का का न्यायालय की वि-तदत्यीय बैठपीठ में अपने अहदेशांत्रे दिनांकित ३१--५-१५ के दारा किया उत मिर्णय की पद्ने ते यह स्पष्ट होता है कि दितीयपश्च कहे . आपरिताकी इस सीमातक तो निवरत कर दिया गया था कि इस विशेधानात के कारण तैयमें का तैयून पुकरण तो निरस्त नहीं होता, किन्त उती आदेश के पद कुमाँक 15 में यह अवश्य तिद विया था कि जिन कर्मधारियाँ का पुकरण बत तैयमें ते अर्थुरत होगा, उन्हीं के तैयमें में पैय-मिनीय विया बावेगा । तथा जिल्हा प्रकरण तदमें ते जायुक्त महीं होगा, उनके तब्ध में वेष निर्मय नहीं दिया जादेगा । असके कावजूद मेंने दिलीयपथ के उत्तर का भी अध्यक्षित किया । दितीयपश्च ने रपष्ट रूप ते यह अस्तर नहीं दिया है कि तैंदर्भ के जादेश है सीनरन परिचित्त में उल्लेखित समिकी की मिलीभत किया गया था तथा उनकी तैयार तमाहित नहीं की गई थी । अतके विवादीत उनके अरतदाका ताराया वह था कि इन क्या कितवाँ की दिती ध्यक्ष ने नियों जित नहीं किया था । दिती थ्यथ ने यहाँ का र्यस्त ठेकेदा हो ने इन्हें निधी जित किया शीगा । इत उत्तर के प्रकाश में मे इस निरूष्यं पर पहुँचता हूँ कि तैयर्भ के आदेश में तथा उसते तैलण्य सूची में जिस पिरीधामात की और मेरा ध्यान आकर्षित किया गया है, वह इतना धार्क महीं है कि जितके आधार पर यह तैपूर्ण प्रकरण ही निरस्त किया ara i

है। ६६ वितियम के विदान अधिवनता का एक तर्ज यह भी था कि तंदर्भ के अदिश के अनुसार यह देवना है कि कमिनों का तेदा पूचकी करण उांचत है या नहीं १ पूचनपक्ष ने जो स्टेटमेन्ट ऑफ क्लेम प्रस्तुत किया है, उत्तम कमिनों को डितमित करना भी तिखा है तथा उनकी तेदा तमाणित छटनी छोना भी तिखा है। स्टेटमेन्ट ऑफ क्लेम ते तंत्रण जो तूपी है, उत्तम ते वैद्यात करने की तिथि का उन्लेख है। इस प्रकार अ विमिन्न प्रकार की बाते हैं जो करने की तिथि का उन्लेख है। इस प्रकार अ विमिन्न प्रकार की बाते हैं जो करने ही विधारणीय नहीं है। की खनूना ने स्थाय द्वारोंत

ए आई आर. 1967 मास्ये पूष्ट 147 के निर्णय की और प्रेरा ध्यान आकर्षित किया । की बनूला के अनुसार बिसामितल, बिसवार्ज, ए निर्माल, रिट्रैयमेन्ट या काम से वैधित करना सभी अनन अनग है व इस कारण भी यह प्रकरण विवारणीय नहीं है 3 जाने अनुस्थार प्रशास्त्र केल्टिक डेर्नास्ट नहीं

त तर्वका उत्तर भी गुण्ता अधियकता ने यह कहण्र विधा कि की वनुका के दारा बताये अनुसार अनग-संसम शबदी का उपयोग किया गया है। की गुण्ता अधिवयता के अमुतार क्षम शक्यों के मायावान का पुकरण पर सक्तरटे निवासनी कोई प्रभाव नहीं पहला है। उनके अनुनार डिसमितन, डिन्यार्ज, टरिनेशन तथा रिट्रेम्प्येन्ट या काम से दीवित रखना, जहाँ तेक इस प्रकरण का शाम है, एक ही है। इस प्रकरण में देशना यहीं है कि वया अभिका की अपने नियोजन ते बाहर किया गया है । उन्होंने अपने तकाँ के समर्थन में राजाई आहर 1990 श्रिप्तिय कोर्टश पुष्ट 1971 के निर्णयों की और मेरर ध्यान आकर्षित किया । मैंने ह्वन तकी पर भी क गैमी रतायूर्वक वियाद किया । जैता कि अपर मताया गया है, 3 जगह उ प्रकार के शब्दों का उपयोग अध्यय हुआ है, किन्तु कुल मिलाकर यदि विधार किया बावे, ती तभी शब्दों का अर्थ कमिकों की तेवा ते वैधित अर्थात तेवा ते पुष्क करना है। ए.आई.आए. १९९० हेतुपीय कीर्ट[पूर्व 1971 के निर्माय की देवते हुए मेरे मत में इत विशेषानात की महत्व देकर इत तैयमें के पुंकरण की निरत्त करना च्यायहारिक या ज्यायीचित मधा धीगा ।

११३ पुकरण में दूतरा जो महत्वपूर्ण प्राम उत्साम्म हुआ है, यह यह है कि क्या तंतरम परिविद्ध में वर्णित व्यक्तियों की तेवार दितीयपंथ ने तमाप्त की तथा क्या तेवा पृथ्कीकरण उपित है है इत तंत्रंथ में दितीयपंथ के विद्धाम अधिवक्ता का यह तर्क था कि दर्म कृमी के कमात तमय तेवा पृथ्कीकरण के औषित्य को तिद्ध करने का मार दितीयपंथ पर हाला गया है, यह उपित नहीं है । वेते पृथमपंथ को यह तिद्ध करना था कि तंतरम परिविद्ध में वर्णित कमिकों की तेवार दितीयपंथ ने तमाप्त की तथा वह तेवा तमाप्ति अनुपित थी । की स्थूणा अधिवक्ता का यह मी तर्क था कि ताख विधान का यह ताथारण नियम है कि जो पक्ष न्यायालय में तहायता प्राप्त करने

अति है, उते अपना प्रकरण तिस करना या हिए । निवियत ही सितिय-पक्ष न्यायालय में कोई तहायता प्राप्त करने नहीं आया है । पुकरण जो तीर्मित किया गया है, वह पुष्ममक्ष ने दारा की गई कार्यवाही पर ही तीर्मित हुआ होगा । हत तर्क का उरत्तर प्रथमपक्ष ने विद्धान अधिवाला ही गुण्ता ने यह कहकर विया कि अन यह तोषका या किया करना है अन्ती है कि तीर्मि ने आदिता में हमें कृतिक उन्नी रचना अधित क्या ते की गई है या नहीं है तीर्मि का आदिता प्राप्त होने ने पत्रयात हमें वेयल यह देखना है कि उत्तन अनुतार प्रमाण किते प्रस्तुत करना है । अस तेया प्रथमिक्शन के औदित्य की देखने के लिए प्रकरण प्राप्त हुआ है, तो औपित्य बताने का मार दितीयमध्य पर है तथा उते ही उपित प्रमाण प्रमुत्त करके अपना कर्तक्ष्य पूर्ण करना था । भी गुण्ता अधिवालता के अनुतार क्षत प्रणार तेया है के औषित्य की तिस्न करने का मार उपित क्य ते विश्वतिययक्ष यह हाला गया है ।

मैंने धन तकरें वर मेंनी इतायूर्वक विचार किया । अब कत पुकरण में कत प्रश्न यह विक्तूत क्या है विवास कहना में आवश्यक छत कारण नहीं सम्झता है क्यों कि अत प्रकरण की परितिधातियाँ कुछ भिन्न है। यह भी तहीं है कि तास विधान का यह ताथारण नियम है कि वी भी वश्च ज्यायालय से संबादता प्राप्त करने के लिए आता है, उसे ही अवना प्रकरण शिक्ष करना चाहिए। इस प्रकरण में टर्म कुमान उसी रचना किती भी पुकार से समी न की गई बी, किन्तु यह तहीं है कि प्रथमपश्च की भी अवना पुकरण सिप्त करने का कर्तच्य था । अस पुकरण में पुथमपश्च भी और ते मात्र एक अधिक का कथन कराया गया है, जबकि पुकरण उनक वाभिक्त के तथा प्रकीवश्य का है। दिलीयपक्ष ने जी उत्तर प्रतृत किया था. उसका तर राश यह था कि ये तभी क्षांत्रक दितीयपक्ष के क्षांत्रक नहीं ये। वितीयमध्य को जी अरवेश प्राप्त कोता था, जमके अमृतार यह ग्राह्म केवारी के दारा बनवारा था। केवार मान अपने बामकी ते विवार करवाते ये तथा उसके अनुसार यह समिका को नियोजित करते। यह । दितीयपथ के उत्तर का भावार्य वहीं था कि परिविकट में उत्तिथित अधिकतर अधिक उन ठैकेदार के अधिक में तथा उनते दिशीयपद्य का नीकर व मानिक का नी है तैसीय मही था । जैता कि उसर तिया गया है, मेरर

भी यह मत है कि साधारण तीर पर जो नक्ष ज्यायालय में कोई सहायसा प्राप्त करने के लिये आता है, उसे अवना प्रकृत्व तो सिय करना हो धा वि । इस्ते वाक्ष्य यह भी सियात है कि किसी तथ्य को सिय करने का भार उस पक्ष पह लिये होता है। यह वह तथ्य को सिया नहीं करता है, तो उत्ते किया को गई है, उस्ते अनुसार इध्य कुट्ट में हम इमाक- 3 की जिस प्रकार से हमान को गई है, उस्ते अनुसार इध्य कुट में से हमान के और मित में पृष्ठि यह करने का मिर दिस्तियकों पर इसित होता है, विण्तु मेरे मत में पृष्ठि यह करने का मिर दिस्तियकों पर इसित होता है, विण्तु मेरे मत में पृष्ठि यह करने का मिर दिस्तियकों पर अधिक विदेश ने करते हुँगे मेरा यह मत है कि दोनों हो पर्थ को अपने-अपने अध्यक्ष को सिय करना चाहिय । यदि हम इमान-उ की एयना पर अधिक सम्बद्ध को सिय करना चाहिय । यदि हम इमान-उ की एयना पर अधिक स्वा स्थापित है और वस्त को सिय करने का भार दितीय पक्ष पर कात हाला गया है, इसको यदि दितीयपक्ष इतना अधिक महत्व देता था, तो उसे इस आपण्ति को कैमीरलापूर्वक माननीय उच्च ज्यायालय में प्रव के समक्ष आज के पूर्व ही प्रकृत करना था, ताकि वह ज्यायालय उचित व्यवस्था में विता ।

हुं20ई प्रथमपक्ष के विदान अधिकाता की एसए स्तर प्रणा का सहस्वपूर्ण सर्व थर थी था कि हितीयकों जो ये यह करना था कि इस करिकार की हितीयकों नियोगियंत नहीं करता था, तथा के ठेकेवारों के करिक से य ठेकेवार की प्रकार में प्रकार भनाना अस्पेत आवश्यक था। यह तक प्रकरण में प्रमावशील किने ठेकेवारों की प्रकार नहीं बनाया जाता है तक सक प्रकरण में प्रमावशील निर्णय प्रशित नहीं हो सकता है। ये स्की बनायदी केन्त्र सर्व क्लिक्ट असरय व आधारबीन है। उनके अनुतार प्रथमपदा यह कहतर न्यायालय में नहीं आया है कि संवीधित बागिक ठेकेवार के बागिक के बहुत कारण ठेकेवार को पर्वकार बनाना प्रथमपदा के लिये आयश्यक नहीं था। इस गर्व केने क्लिक्ट वित्तीयवर्ध के द्वारा यह कहतर विवास गया कि परिचित्र में उनके किने क्लिक्ट का प्रथमित दिलीय बता के बागिक भदी के, उन पर किसी भी प्रकार से जिलेका दिलीया का मही रसता है था, इस कारण वस तक हैत प्रकाल में संवीध्या ठेकेवारों की प्रकार मही बनाया जाता, तब तक कोई प्रभावशील आवश्य न्यायालय गारित हो। नहीं कर तकता था । दितीयपश्च की और ते इत तर्व के तमर्थन में रः आई. आर.

मेंने बन तकों पर भी गंभी रतापूर्वक विधार किया । में दितीय विके के तर्ह में सहमत नहीं हूं। प्र-या मयक इस अभिनयन के साथ स्वायानय में मुंडी अप्रया है कि उते ठैकेदार के मार्पत नियोगित किया जाता था, किन्तु हैं दितीयपश्चका काम करते थे। दितीयपश्चका यह कक्षमा भा कि संबंधित अभिका की देवेदार नियोजित करता था व चितीयपश्च का अम अभिका ते भीकर व मार्गिक का की बे सबैध नहीं था । इस कारण तैंबीधस ठेकेदारी की अनुपारिधांत में कीर्क प्रभावशाली आदेश गारित नहीं की तकता है । इत पुकार यदि केवार की पक्षकारक बनाना आवश्यक था, तो यह कार्यवाधी अधित समय पर अधित तदीके ते विशीयपक्ष की बी करना थी। ऐसी रिथात में ठेकेदार की अनुपहिषति का कीई विपरीत प्रमाय प्रथमपक्ष के बिताँ पर मेरे मत में मडी पड़ेगा । असः ये तर्व और अस्थीकार किये जाते हैं। प्रथमपश्च के विद्यान अधिवक्ता थी एतः रलः गुण्ता का महत्वपूर्व तर्व यह भी था कि वितीयपथ का भी यह कहना था कि छन समिकी की दितीय-पश्च नियो जिल नहीं करता था । उनते दिलीयपश्च का नीकर य मानिक का तथ्थ नहीं था, उनके कार्य पर निर्यमण दिलीयां का नहीं कीता था, उनकी बाजियी दितीय यह के अधिकारी नहीं मरते थे उनके काम की देखरेख न ती दितीश्यध के अधिकारी करते ये और न ही उनके देतन का भुगतान दितीयपश्च के अधिकारी करते थे, ये तमी बनायदी व अताय बाते हैं। या त्तव में सैनरम सूची में वर्णित च्यानित दितीयपक्ष के ही यहाँ दितीयपद्म का ही काम करते ये। वास्तव में परिशिष्ट में उन्ने खित च्यारित कितें। समिक थे, यह देखने के निम पुकरण में ये देखना आवश्यक है कि वास्तव में यह शमिक क्या काम करते ये १ कहाँ काम करते येक १ उनवे कार्य की वेबरेस कीन करता था तथा उन्हें कच्या नाल करवारि की तुविधार कीन उपलब्ध करवाता था १ की गुप्ता ने अपने तकी में यह भी क्याबत किया कि अधिवाधित क्या ते यह के सिक दिलीयपथ के उधीन की तीमा के अंदर दिशीयपश्च के होड में ही काम करते थे। उन्हें दिशीयपश्च के दारा ही थिनती, वानी कच्या मान उपलब्ध कराया जाता था ! उनका यह भी तर्व था कि उनके काम की देखरेख दिशीयपक्ष के भी अधिकारी करते ये तथा कार्य में कोई बुटि होने पर उसे तथारे का निर्देश भी वितीयपथ ही

for notices that he will be the source of the southout south that the source is the transmired of the southout south that the southout it is that the southout south the southout the southout the southout the southout the southout the southout the south the southout the southout

en att, ger 396, grante war weruther mag, ber day attente. अलक . भिनाप १९६। को में कित कि अध एक एत कामधी के राजपूर कि । में फिल समू प्राथम में शिवाने के प्रियम के प्रतिष्ठ मेर्रियान के प्रतिष्ठ के प िरात निगम की बेगाम रागा में अभयतियों को राजन क्रम में गुमेरी तिवेरिकार माध्य राज्य और कि प्रियोग्नी के दश्य ठव्यू हुंचीक मिश्रिह , कि स्म और स. कि अप कररा प्राप्त प्रदेश तक क्षेत्र का कार का कर कर है। विश्व प्रति का कि कि प्राप्त विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व व जा, वार हार, १६६ मार है।। वार लाज नार कुन ह्या के मार कि है। है 8761 में स्पेशत के रिका स्थार में 1936 में 1936 कि Iszi ा गणनी त्राप्तिक प्रोप्तक प्राप्तक एक एक विकास कार्य कार्य १९०। म ९२८ ठबपु-अगर-अन्य-तिम्याप १८९। द्रामा ठबपु हिर्देश मिप्तिहै । ८०९। अप्राहक्षेत्राहरू में मर्गेम के पैका निमह ने गान्तृ कि । प्रश्नी मि मन्त्रिक स्थापक Printe zeil ein ein ann "I inei lup beite gene des eingsp BE UPE FIRS DEDIN SING . B K for & MUDITAL BE fire notype । व तक्र मार्थ नाम्लाक केव कि अन्याधियों तान व निक अयानाम्प नयातियों nhnk ब 0161 अन्य क्षामानी किए केष मानित्री प्रमान उन्ह्या । व प्रमान ngry Liss find is aim sharailly and notiged fin fin fin fal कि कियोक एक ल की र्वको तातुराष्ट्र में मनामामन कर्न तामी लेत की रिवर्ट रित ल निक्रमण्डिया । यथ अम्बर्भाष्टी हो एक क्रिक्र अपन वर्ष अस्त असी अस्त वि करीय व उराप्र के राश्त में रिक्ष करीय व अध्यापित्री क्या मार्गीके । राथ रिक्ष त्रप्रेंड व विश्वास्त्रास्त्रुत रास्त्रे एक्ट प्रकार प्रधा की राव का निः वाप्र एवं राज्यव

119111

यथ ने प्रश्ता किया है, यह निश्चित ही तस्मानीय है, किन्तु उत्तका महाच नाननीय तर्वोच्य न्यायानय के निर्माण के प्रकाश में विदेश नहीं है। उनके जनुतार जब यह याया जाने कि द्वितीयपथ दुर्मांचना ते देना वेता बताता है, यहनेत्व में वही कमिनी की नियोजित करता है व रेता करके यह जनुचित नाम उद्यादा है व कामून की तोड़ता है, तो इत निर्मय का नाम दितीयपथ की नहीं निर्मातकता है।

दिती प्रथम के विद्वास अधिवनता जी सनुवा ने यह तर्क प्रस्तुत 1241 किया कि वास्तव में तैनरन परिशिष्ट में उल्लेखित अभिकाँ का दितीयपश्च ते की है तैमी नहीं है, इन्हें ठेकेदार ही नीकरी पर रखते ये तथा यही उनके कार्य का निर्यंत्रण करते ये ये की उनकी काजियी भरते ये तथा ये की उनके येतन का भुगतान करते थे । दितीयपश्च का यश्च भी तर्क था कि कांद्रेक्ट नेवर हरेगुनेशन रेड स्था निम्ना प्रकट 1970 में देता कीई प्राप्तान नहीं है कि उतके प्रभाव में अने के तत्कान काय तैपूर्ण देश ते देकेयारी प्रथां तथाप्त हो जायेगी । किती मी उद्योग में ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने के लिए उपयुक्त शातन की नी टिफिकेशन मिकासकर इस प्रथा की तमा मत करना की गा । दिली यपश्च के उद्योग ते देवेदारी प्रथा की तमाप्त मही किया गया है। ही बनुजा अधिवक्ता ने मेरा ध्यान माननीय उच्च न्यायालय, मानुः के निर्णय की और दिशाकर यह व्यक्त किया कि मिलाई स्टीन प्लाट में स्टेट्यूटरी के स्टिम की छोड़कर अन्य के स्टिम मी धनाये जाते हैं, वे तभी की-अररेटिव तीतायटी के माध्यम ते धनाये जाते है उस तरथा की रिधात एक केवार के तमान बीती है। इक को कम्प्टी की विश्वति स्य के वहर के लगान को ती-है। इत तीता यही से व्यविष् ने नवर्ष की मिनाई क्टीन प्लाट का ब्रांगक घोषित किये जाने के लिए एक प्रकरण माननीय उच्य क्यायालय म. पु. के तमक प्रस्तुत किया था, उतका रिट पिटीशम कुमांक 1069/86 पा, जितमें दिना के 26-6-87 की निर्मय भी पारित किया गया है। इस निर्मय के अनुतार स्टेट्यूटरी के स्टिम की छोड़कर अस्य के स्टिस्त में कार्यरत ठेकेदारों के स्मिकी को किलाई स्टीत प्लाट का समिक नहीं माना है। इत्)पुकार दिलीय-पक्ष के अनुसार उनके उद्योग में देवेदारों के द्वारें। श्रीमकी की नियोगित करने यह प्रतिबंध नहीं है। द्वितीयपश्च ने अपने तकाँ के तमर्थन में 1997 है।।है स्मन्यी स्त वे. पुरुष्ठ ६२० १एस. ए. अरय. एस. विक्य अरय रमेव्या है, १९११ एस. एस. आर. डा.६, 1992 एल. रण. आर. पुटल 186, 1999 रम. पी. रल. एत. आर. पूटल अ१३ हरम. पी. ا سروا

दितीययदा के अनुस्तर सैवर्ग रे स्थान सूची के 311 बामकों में से 57 बामकों में से 57 बामकों में से 57 बामकों में से 100 बामकों में से 11 वित्तीययदा के साथी की उम्में ने अपने कथन में बताया था कि जामक बोलसाल, एवंगि पीठ श्री वास्तव व बुधराम स्वेच्छा से मौकरी बोहकर थी गये। तथा उन्होंने उन्हें वेचे राशि प्राप्त की कर तो थी। वुधराम ने जो आवेदन विया था वह प्रमी बीच्डर है। उसके दिसाम का पर्चा प्रध्न बीच्डम के तथा उसकी वसीय बीच्डर है। उसके दिसाम का पर्चा प्रध्न बीच्डम के तथा उसकी वसीय बीच्डर है। इसी प्रकार योगवाल ने जो आवेदन विया था वह प्रमी बीच्डर है। इसी प्रकार योगवाल ने जो आवेदन विया था वह प्रमी बीच्डर उसका गणना पत्रक है स्था प्रपन्न बीच्डर उसकी प्रसीय है। व्यक्ति पीठ बीचाकतव को गणना पत्रक के वसी बीच्डर है वसीय प्रदर्भ बीच्डर है। इसके अलावा जो को 11 बीगक दितीयपदा के यहाँ काम करने आये उनके अलावा और कोर्ड बीगक काम करने गडी आया। वितीयपदा के वहाँ काम करने आये उनके अलावा और कोर्ड बीगक काम करने गडी आया। वितीयपदा के विदान अधियवता का गण गणी वर्ण था

प्रभावध के विदान अधिवदता श्री एस० एत० गुप्ता का

(36)

बह तर्त था कि ए-आई-आर- 1981 पुरीम कोर्ट पुष्ठ 864 के निर्णय के क्रिकास में इन तथीं को उधित क्य से प्रभाणित प्रवर्ष माना दी नहीं जा सकता है ये इस कारण उन वर विधार नहीं ही सकता । भी गुष्ता के अनुसार निर्णयकता को यह सिद्ध करना था कि ये मामक रैकेटका से नीकरी कोइकर

मैंने इन तकों परणेगिरतापूर्वक । अधार किया । वेते साध्यार तरे पर दिती यवं को इन लेकों को उत्तित साध्याम से सिद्ध करवाना था किन्तु जब दितीयपक्ष को यह अभिवदन भी था व प्रभाण भी था कि ये अवस्था से मीकरी को इक्त यो गये है तो मेरे मत में प्रमाण जा भी यह कर्तव्य था कि वे उन बामिकों को ज्यायालय में उपस्थित करते दितीयपक्ष के प्रभाण को थेन करते । इस प्रकार मेरे मत में इन तीन बामिकों के सीध्य में जो तेया प्रश्नुत किये थे व उन्ते देवनिकल वृष्टि से सिद्ध माना भी न वाचे तो भी उत्ते मदिरियन आन रेकार्य तो 1999 है।। है सी स्था आर. पुष्ट 79 के निर्णय के प्रधा में कथा थी जा सकता है। इस प्रकार मेरे मत में ये तीन बामिक अब इस प्रकार में कोई सक्षायता पाने के प्रमान नहीं हैं।

हितीयपक्ष के विकास अधिकारा का यह तर्क था कि यापि अस प्रकरणों में अभिवयनों तथा सांस विधास के तकनी कि सिद्धांत लाग्छ नहीं होते हैं किन्तु प्रत्येक परकार को जपना-अपना प्रकरण तो अभिवक्ति करना तो चाहिय तथा प्रभाण भी प्रकृत करना चाहिय । विना अभिवक्तों के न तो प्रभाण प्रकृत हो रकता है और न हो उस पर विचार किया था स्कता है । प्रथ्यपक्ष में अभित क्य के प्रभाण प्रकृत करने यह स्थि महीं किया है कि सीवन क्य के प्रभाण प्रभाण प्रकृत करने यह स्थि महीं किया है कि सीवन क्य के स्था उसकी सेवार्य अवैध क्य के सभापत की गई है । उसका यह भी तर्क था कि प्रथमपक्ष का यह प्रमाण भी विचारणाय नहीं है कि दितीयपक्ष के अधिकारी ने विमानों को कोरे कागज पर बस्ताक्षर करने को कहा तथा न करने से उन्हें नौकरी से निकाला गया । इस प्रकार का कोई अभिवचन प्रथमपक्ष का था ही नहीं । इन तर्कों के सार्थन में इस्तीयपक्ष ने 1999 हैं।। है यम भी एक जै पुष्ट 247 के निर्णय की और केरा ध्यान आकर्मित किया।

पिता प्रमाण के निष्ठाम अधिवयता भी केठ एकठ क्या का यह तर्व भा कि इस प्रकरण में प्रमाणकों और से केवल एक साथी जा करन कराया गया है। यह प्रकरण में प्रमाणकों के सिये हैं। प्रश्नेमध्ये को यह तिय करना भा कि उसकी सेवा समाप्ति अवैध भी व घट समा अन्य समी क्यांकत दितीयम्स के ही अभिक में। एक व्यक्ति 310 लोगों के संदेध में भी क्यांन महीं दे सकता है। उनका यह तर्व था कि प्रश्नेमध्ये के साधी का प्रभाण बिल्कुल अपर्यापत ही में। प्रभाष अपने प्रमाण के आधार पर किनयी हो सकता है समा वह निष्यों की काली रिशों से विषयी गर्वों हो सकता है स्था वह निष्यों की काली रिशों से 1988 एम पी तिकती नोट 195, 1995 है। है एम पी विकली नोट 170 सं 1999 हुमीय कोर्ट 1441 के निर्यों को और मैता ध्यान आकर्षित किया।

साधी का कथन कराना आवरक नहीं था। दिलीयवर्ध को सेवा समाधित का औदिन्य सिद्ध करना था सथा यवि वह यह सिद्ध नहीं कर पाता है तो प्रभावर्ध के प्रभाव का कोई महरूव नहीं है। मैंने इन सकी पर गंगीरताय्वक विचार किया। साधारण तौर पर प्रध्मपद्ध को प्रभाव प्रकृत करके अपना प्रकरण सिद्ध करना था किन्तु हमें इमिक-उ की रचना को वेयते हुये तथा दिसीयवस के अभिवयनों को देखी हुये कैयत प्रध्मपद्ध के प्रभाव के आधार वर यह नहीं कहा वा सकता है कि सेवर्स है स्वान प्रतिक्रिय में विविध विभिन्न किया सहायता के वाच नहीं है।

(32)

The state of the s

भेने इन तंकी वर तथा च्याय बुन्डाती पर गंभीरतापूर्वक विधार किया । यह सही है कि साम विधान की तकनी किया अम प्रकरणी में नहीं देशी जाना बाहिये किन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि साध के मुल्योंकन के की ी सिदात देवे बी नहीं जादित । यह साधारण नियम है कि जब कोई परकार ज्यायालय रे किसी सहायता की प्राप्त करने के लिये आता है तो उसे अपना प्रथरण प्रथम पुष्टियाँ सिद्ध करना चाहिये । इस प्रकरण में प्रार्ट्स से ही दिलीयपा की यह आपहित रही है कि सेनरन मरिजिन्द में वार्गित अधिकतर बामिक उनके मही है तथा है है। बार के शमिक हैं। इन श्रामिकों की सेवार्थ दितीयपक्ष ने सम्माप्त नहीं की हैं। ऐसी स्थिति में प्रध्यपक्ष का यह कर्तक्य था कि वह इस तथ्य की उधित प्रभाण प्रकृत करके यह सिद्ध करता कि ये अभिक दिलीयमा के ये सभा इनकी सेवार्य समाप्त की गई थी। प्रथमपक्ष की और से मान एक साथी का कथल कराया गया है। मेरे मत में एक साथी 310 क मिकों के 'लिये कथन दे यह स्वमाधिक प्रतित नहीं होता । 310 बिमिकों को काम करते हुये, बेतन प्राप्त करते हुये यह साक्षी वेखता होगा तथा हशी के सामने सभी मिलिकों को कोरे कागज पर इस्ताक्षर करने के लिये कहा गया क्षीगा व इन्कार करने पर उन्हे निकाला बीगा यह क्वमायिक स स्थित्वसमिय प्रतित नहीं होता है । इस प्रकार सभी गामिको का कथन न कराने से इन्फरन्स प्रकारक के थी किया निकलका है । असे जानपूर्व केला कि उसर निधा नवा है केवल इस कारण से यह नहीं दशा भा राधता है कि सीधितं अयकिती का प्रकरण मिरकत किथा वार्षे । इस स्थिय में यद देवना की आवश्यक के कि विशोधवा का क्या प्रमाण है।

प्रकरण में प्रथमपत्त का यह भी तर्ज था कि गेटल इंजीनियोरिंग वर्ष्स मूणियनं के साथ दितीयवस के समझीते हाने बतलाया

गया है। यह सुनिमन प्रभावस की प्रतिक्री धूनिमन है। उसत सुनिमन दिता प्रवाद के कि में रहने बालों धूनिमन है अगित उस धूनिमन के प्रहारिक कारियों को दिता प्रवाद के अल्लाक लाग प्राप्त होता है। दिता गयश के साथी क्रांसि गुम्ता ने यह क्वीकार किया है कि उन्होंने क्लियाई में हाउसिंग थोई का एक महान बरीवा है किन्यु उसकी रात्रि कहा में आई ल्या थूनियन की आमवनी क्या है इस बाबत वह सैतीक्वनक उस्तर नहीं दे रखे। प्रभान में यह भी आया है कि उन्नत यूनियन सहकारी सीमित के मार्थत दितीयपत्त के यहाँ बीमिक सम्लाय करती है। बी गुम्ता ने मेरा ध्यान की नियोगी हस्याकांड में प्रयत्त निर्णय की और आकर्मित करके यह कहा कि उसके प्रवर्भ डी-261 का नेथ दितीयपत्त के रीयानकगन का एक्सन प्लान था तथा उसके अनुसार क्रतीसगढ़ गुन्ति मोर्था के प्रतिदेवी यूनियन को बढ़ावा देना उनका उच्चेरय था। मैंने इन तकों पर विद्यार किया। ऐसा आभास तो होता है कि इस यूनियन के दितोयपत्त है। अध्ये सैथे हैं किन्तु यह कहना मुक्तिन है कि वे सैथेंग अदैध हैं।

प्रकाश में यह देखना अस्थेत गहत्वपूर्ण है कि दिसी स्पत्त जिल क्यों को डेकेबारों का अधिक कताता है क्या वास्तव में उनसे श्वा विया पान कोई संबंध नहीं है तथा क्या वास्तव में दिती स्पत्त ने ठेका विया पान इस प्रश्नों के निराकरण के लिये दिती स्पत्त के द्वारा प्रस्तुत साझ का अवलोकन करना आवश्यक है । दिती स्पत्त की और से साक्षी वेक का क्या कराया गया है । इस साक्षी ने यह तो कहा है कि दिती स्पत्त अपना काम करनाने के लिये ठेकेबार रधता था किन्तु दिती स्पत्त की और से यह भी स्वीकार किया गया था कि ठेका देने के पूर्व निविधाय आमीत्रत नहीं की जाती थी । ठेका देने के पूर्व रेट तथ बोते में लगा ठेका तथा आवेत पाब आवेर एक में तिये जाते में। दिती स्पत्त की ओर से ठेके के शेलेंस में किया गगा कोई अनुवंध क्या सालय में प्रस्तुत नहीं किया गया । तब मुक की प्रकृत नहीं की गई जिसमें ठेका बेना बताया जाता है । इसी प्रकार दिती स्पत्त के साक्षी की वेव ने यह स्वीकार किया था कि पार्टी में आईर देती थी व अपना

5×195

2.7

इसी प्रकार दितीयपक्ष के इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया था कि वर्ष 1990 में किसी भी ठेकेवार ने कदिवट तेवर हैर प्लेखन एक स्वीलियन एक 1970 के जंतर्गत लाईसेंस नहीं लिया था । साक्षी यह भी कहता है कि ठेकेवारों के दारा अधिकारी को भूगतान किये जाने को प्रमाणित करने के लिये दितीयपक्ष को अधिकारी नामिनेट करना घाडिये था किन्तु वैसा नहीं किया गया था । दितीय-पक्ष के अभिक तथा ठेकेवार के अभिक एक ही गेट से उपोग में आते थे तथा सुरक्षा कमी की तलाजी ने सकते थे । इसी प्रकार कादिवट लेबर एक्ट के जंतर्गत रेथे जाने वाले नेय स्थायालय में प्रस्तुत नहीं कुछ हुये हैं ।

इस प्रकार इस प्रभाण की देखने के पश्चात् में इसी
निक्कम पर पहुँचला हूँ कि दितीयपत यह शिंद करने में क्लिक्स अस्थन
रहा है कि वास्तव में उसने किन्ही स्थापतथों को काम का ठेका दिया
था सभा जिन्हे ठेठेवछ दितीयपत्र ठेकेवारों का समिक सताता है के
ठेकेवार के समिक में च दितीयपत्र का उनसे कोई संबंध नहीं था। इसके
पिपरित दितीयपत्र के प्रमाण है यही आमास होता है कि ये अमिक
दितीयपद्र के निये ही काम करते थे। मेरे मत में हाजिरी रजिस्टर पर
अथवा अंबर कुछ प्रविन्हियों करने मात्र से ही समिक व मालिक के संदेधीं
में कोई अंतर नहीं आता है।

पर विषार करने के परधाय थी और शक्तार है। ठेनेपार के दारा नियोधिक उच्च न्यायालय मठ प्रठ के दारा यारित मिर्णय 1999 सम. पी. सल. एस. अरि. सास्त्रम में सत्तिल किसने नोकर है, इस प्रस्त कर निराकरण तो उथित प्रमाण इस प्रकरण में प्रमाण के आधार पर बरना हो उथित होगा । इस प्रकार हर देवेबरारी प्रया को रेनुनेट थर्ब रुक्तिका करमा है। अधारित इस विधान संवीपत बांगकों का त्या दितीयका का क्या संबंध था, इसका निराक्षण निरिष्णद मही किया गया था, किन्तु वर्तमान प्रकरण में नोकर व मानिक जी मिथाति है, उसके अनुसार यह निर्णय पूर्णस्पेण इस प्रकरण पर लागू नहीं स्याचित निश्मी उपनिष्य में कास करता है, इस कारण की मठ प्रठ अधिनिष् में ठेरे में बर्गियमें को नियोगियत करने की अनुमित की गई है। मामनीय कर के बाहत करते हुये में इस निष्मान पर पहुँचता हूँ कि बर्तमान प्रकाण की संबंध विधान की धारा 2 है। 3 व व है। 4 के प्रकाश में उस मिल को म्याय कुटरीत का लाम सीय-तीय दित्तीयवस को प्राप्त बहार होता है क्षितारी प्रथा श्वर्ध की स्थाप्त को पायेगी । इस मिथान का उप्रेश्य वर्तमाम प्रकरण में मामनीय शवीच्य क्यायालय है िलीय के प्रकाश में इस वृष्ट 393 कर भी भेने अवलोकन किया । इस िर्माय के प्रति सम्पन्तन क्षा पा स्कता है। उस प्रकरण में इस विवाद की लेकर कोई प्रमाण के स्थिय में परकारों ने प्रमाण प्रकृत किये है। इस प्रकार वास्तव में बीतर । इस िक्षि में मेरे मताजुतार यह निर्मित किया गया है कि मही है कि हुने प्रमाय में आने के मुरम्स बाद में किसी मी उर्योग में नाहा ताक काश्रिकट तेवर तरिक्युनेत्रम येक स्वार्गालामा एकट 1970 कर प्रमाध, यह सही है कि इस नियमान में ऐसा कोई (1.1.1)

इसके अतिरिक्त को अन्य न्याय कुटरांत विकेषारी के मामकों में संभ्य में उपयवस में प्रमृति निर्णे हैं. उस पर में। मेनीरप्ताप्रीक

(· 3)

इसके अतिरिक्त जी अन्य न्याय वृष्टीत हैकेबारी

के बरिकार के संबंध में उध्यपक्ष ने प्रशास किये हैं, उन पर मैंने र्गभीरतापुर्वक विधार किया । इन स्थाम नुस्टाति व कदिवट तेवर इरेंग्युनेश्वन एवं एको लिशनः एकट 1970 का अथलोकन करने के परधात् मेशा कि अपर अस्तायां गया है, सारांश यही निकलता है कि केवल इस आधार पर किली असिक की उघीग का बसिक नहीं माना जा सकता है, क्योंकि वह ठेवेबार के मार्पस नियोधित शोकर उद्योग में काम करता है। बास्तव में ऐसे बागिकों का ठेकेवार से क्या सीध है लगा प्रिसीमल नियोक्ता से क्या सबैध है, यह देखन के लिये कई बातों को वेबना अस्पत आवश्यक है। पेसे बाधिकों को नियोणित किसने किया है ? उन्हें किस कार्य के लिये नियोजित किया गया है 9 बामक कहा काम करते हैं 9 उनकी बाजियी सरने व नेतन देने का काम थ उप पर नियंत्रण रूथने का काम कीन करता है ? काम करने के लिये कच्चा गाल कीम उपलब्ध कराता है ? तथा जो माल निर्माण किया जाता है, वह किसे लिये किया जाता है १ व उसने लाभ कीन उछाता है १ यह देवना भी अंतर्गत आवायक है होता है कि धाकतब में ठेका दिया भी गया है या नहीं ? उपरोक्त तक्यों पर समग्र रूप से विचार करने के पश्चात की इस प्रश्न का निरामरण की सकता है कि शास्तव में सैमी बत बरिक्षों कर तथा तथाकथित देवेबार व प्रितीयल निर्धावता का चया संबंध 🖁 🤊

क्स संबंध में 1978 एम. पी. आई. एत. सी. वेष ५०० हिम्म भाई मिन्द जनाम नेषदरी है तुन्नीम कोट, 1995 है। है सी. एम. आंप. पुष्ठ 967 हैगुजरात होनिवहरिक्षी भोडे विरुद्ध . 24

विन्ध मणवृर समाई तथा ।१११ है।ई सी. पल. आर. पूर्ण-१५१ के न्याय युन्दातं भेरे मतानुसार अस्पत महत्वपूर्ण है। इस स्ना निर्मिष्ट में अनुसार कोई ज्यापस किस का निगुन्त है, इस प्रमन के निराकरण के लिये अपर बतनाई बाते देखना अल्पेत आवश्यक बोती है। इन फिर्मियों के अनुसार बाक्तांक नियोक्ता स्था बामक के मध्य याच कोई मध्यस्थ की उपरिधात है भी, तो मध्यक्थ की उपस्थिति मात्र ही नियुक्त व नियोकता के श्रेवंधाँ पर कोई विपरित प्रमान नहीं काल स्तेगी । वास्तव में कोई क्यांचल किस का नियुक्त है या गढ़ी, इसके िय यही वेयना आबरथक है कि उसकी नियुवित किस्ते की १ किस्के ि है की १ यह किसी किये जात करता है ? कहा काम करता हैई, कम्पा माल कीम उपलब्ध करता है ? उपरोक्त सीमी की मिर्मय मामनीय सभीक्य क्यायास्य का है। मेरे भस में ब्राह्मिट नेवर हैरे प्रोशन रीड प्रजी भिन्नति एकट 1970 के अतिर्गत किसी वैवेदार जा राजिस्ड बीमा भी अपने आपर्ते उस समय विकेच महत्व का नहीं रचता, जब यह सिद बी जाने कि देवे पद देने की बात स्व्भाधनापूर्ण व स्वाधाविक न होंबर मनायदी, क्रेम था केवल काराजी आनाप्ति है। प्रकरण के सक्ष्य सभा भ्रम निर्मार्थी के प्रकाश में वसी निष्कर्भ गिक्सरा है कि प्रकरण में यह सिद्ध नहीं हो परधर है कि वास्तव में दिती धपरा ने किम्बी व्यक्तिभागी की देशा विधा था व ये बगवित किशी हैवेबार के बामिक दें। इसके विपारित यही प्रकट होता है कि पारिफिट में बर्णित व्यक्ति दिलीयपंद की देवक्र व्यक्ति में दिलीयपंद की प्राप्त आदेश का माल दितीयका के लिये तैयार करते है न इसका मूलय दिती यंपदा ध्राप्त बरता गां।

-26-

(ly) दिशीयपत का प्रभाण यह भी था कि दिनपी का 900000 17-12-90 को माईट जिप्द का बीमक राजमन उपाध्याय केन आपरेटर कियुटी पर नदी आया था। इस कारल क्रेम से काम नहीं इआ। परिकास क्वरूप पिक्ता बुआ तोका अधित स्थान पर पर्वेदाया नहीं गमा । इस कारण मेल दिंग बांप के बामिकों को ने आफि दिया गया था । इस बात की निकट की निकाल अब गरे कि उन्के ती पूर्व नेतन विया जार्वे तथा उन्होंने काम करना भैव कर विया । इस विवाद की तेकर विनार 18-12-90 की भी अभिकाँ ने काम नहीं किया तथा खतात वेसी स्थिति रही । बामिकी को सम्बाह्य देने के लिये मिल्ल-मिल्ल तारी वर्षे में प्रवर्ष श्री-22, श्री-23, श्री-24 के सुवना पत्र लंगाये गये । बम क्यायालय में खहताल की लेकर प्रकरण क्रमांक 151/एम-पी-आई-आर-रक्ट/१० मी प्रकृत किया गया । इस प्रकरण में 21-12-90 की समिकी के विरुद्ध एक पंतीय निमेधाड़ा भी दी गई। इसकी सुधना भी अभिकी को बी गई। इसके अलंबा भी लगभग 12 विनी में विभिन्न तारी वी यर विश्वा के लिये गुवना यन लगाये गये जी प्रवर्ष श्री-27 लगायत श्री-38 समाचार यह में भी प्रवादन करवाया गया उसकी प्रति प्रवर्ष की-39 है। इस साक्षी के अनुसार 12 बिमकों को क्यांबितगत सुवना पत्र मी में गये किन्तु कोई भी प्रयान सभी नहीं हुआ। तुरन्त तो कोई भी बामिक काम पर वापिस लौटा ही नहीं। जी पत्र पौरट आफिस के दारा सिंगार को जिल्लाम गरे ने उन्हें भी प्रकृति किया गया है। मोहम्मद अपतर, महीं पी विशेषास्तव, मोहन राय, घरण सिटी व भौगेत मार्थ- 92 में तथा राभाषार, अलयकुमार, बच्चनप्रसाब, हरति साह, जीवन यावव और कुनान अंसारी जून-93 में काम पर लोटे उन्हे दितीयपक्ष ने काम पर रख लिया । इस प्रकार दिती पपक्ष के अनुसार कमिक की काम पर आना नदीं धादते थे।

ि() द्वितीयमा का यह भी अभिययन था कि हाशी गण के द्वारा यह सिद्ध किया गया है कि अभिक्रण अनी वश्यक उद्वेहता व गुँडा गर्वी का अयवहार करते ये इसके लिये पुलिस में रिपॉर्ट मी हो। गई थी।



पुलित जिलान का कर्मभादी केक मान न्यायालय में आया के तथा उसने प्रथम ही-। लगायत ही-8 के तथ प्रकृतत किये थे। दितीयपदा के अनुसार यह सावी किसी भी दुष्टि से दितीयपदा से म गो संबंधित के म इसे इंटरेस्टेड कवा जा सकता है। इस प्रकार विधिक्त के बूट्य के लिये दितीयपदा किसी भी प्रकार से बीमी नहीं हैं।

बी गुम्ता अधिवयता का तर्क यक्षी था कि गीनीभत बालिकों ने किशी भी प्रकार से उब्देशता गर्धी की थी । उन्होंने सहताल भी नहीं की थी। किसीयमध्य की किसी म किसी कारण से या कुर्जीवनर से बामकों को काम से बीचत करना चाहता था। उनका यह मी तर्क था कि यदि यह मान भी लिया जाने कि बरियकों ने कोई दुरा घरण किया था तो उस्के तिथे सतरीय स्थाई आवेशों में कार्यवादी करने का प्राथमान हैं। यह कार्यवाही तो की महीं गई और अकारण सूचना पत्र लगवाने की तथा समाचार पत्र में छपवाने की तथाकथित कार्यवाही की गई। की गुम्ला के अनुसार ये सब बनाबदी कार्यनावियाँ हैं। उनका यह भी तर्न था कि दितीयपक्ष के शाकी का यह कहना कि बारबार मुखना पत्र लगाने भी स्तीकार किया कि तेवा समाप्ति का की अनेत्र किती स्वते स्वत पारित नहीं किया है। भी गुप्ता का यह तर्ष था कि सत्तीय स्थाई आदेशों में ऐसी कीई ख्यबस्था नहीं हैं कि यदि श्रीमक काम पर न आवे तो यह मान लिया वार्षे कि यह नीकरी करना महा चाहता है। उनके अनुसार प्रथम तो ऐसा विधान नहीं है। योद यह मान भी लिया जावें कि ऐसा माना जा सकता है तो फिर परिनिधिशया देवना शाहिय । मान संबंधित कामिक नीकरी की कीकृता पावते तो फिर यह प्रकरण तराति की कारीभाषी की क्यों करते १ की गुण्ता अपने तकी के समर्थन में 1979 है। है एल. एल. जे. 257 हैजी. टी. लाड विस्ट केशिका फाईबर है तथा 1997 एम. पी. एस. प्रस. आहे. 658 तथा ए. आई. अंबर. 1963 एस. सी. पुरुट 1441 के स्थाय दुष्टात प्रस्तुत किये । अनेका यह भी तर्क था कि विवेधके के से सी बाधकों ने कहताल की की नहीं की विकास यह आमा

भी जाने कि बहुताल की भी तो भी इन अभिकाँ की काम पर आने के रोका नक्षी जा एंता है।

他 रिन क्षम सक्ते पर गीरी रसापूर्वक विकास किया । यह सही है कि जिस प्रकार का प्रयास हिंती अपने की और से प्रकान हुआ। वे जो वेचते अमे देशा आमांभ बोला वे कि बिलीयमा ने बावियों को काम बर मोदने के लिये सुधना पत्र तो लगवाये थे। यह भी सबी है कि इन नेवर्ष को ए-आई-आर. 1981 ए सुप्रीय कार्ट 864 के निर्मय के अनुसार तकंगीकि दुष्टि से सिद्धे भी गर्धी विधा गर्धा के विष्णु श्रीद्वी है। कि लिग मनि यह माना भी भाषें कि के अभिनेष स्थि हुने ने तो भी वैधानित स्थिति यह है कि सतरीय स्थाई अधिकों के अनुसार ऐसी क्यवस्था नहीं है कि बाद भी है बागिक काम पद आना और कर है तो तह मान लिया जाने कि वह गीवरी कींद्र पुका है। अधिकारिक कर के दिली प्रवृक्त ने या तथाकथित देवेबार ने अपने बामकों की अनुपाल्यात के लिये आशीप पत्र वेकर पंत्रीय करके की है अनुसारत्वारमक का वैचाकी नहीं की हैं। इन सामिकी की रेवार्षे समाप्त की गई देसा दिलीयपश का अभिकथन भी नहीं है। जो ब्युकाल का बाबा सम क्यायालय, मुर्ग में प्रकृत ब्रुका ता जीतिम निर्मीय गारित करके उस बहुताल को अवैध योगित किया गया देशा भी प्रभाष नगायालय में प्रकृत नवीं हैं।

जगरोकत विवेधन के परिणामक्षकप माननीय उच्छ जगरमान्य, में प्राप्त के निर्णय 1997 प्रम्म थी. क्ल. प्रस्त आहे. 658 तुनती राम व अल्प जिल्ह औद्योगिक ल्यायालय, से प्राप्त गये निर्णय जो कि माननीय सुप्तीय कोर्ट के निर्णय 1979 है। इं क्ल. प्रल. पे. 257 पर आधारित है के प्रकास में स्वाद्य अनुपास्थात के कारण यांच वामकों को काम पर नहीं निया था रहा है या यह माना वा रहा है कि नगतार अनुपश्चित रहकर बामकों ने मौकरी छोड़ वी है तो वह वैध व उधित नहीं हैं।



161

ुध्यमपद्म के विद्वाम अधिमवता की गुप्ता का विशोशनक के आचरण के रीवंध में भव भी तर्व थी। कि विसीयपंथ स्वेव में भी असाराप्रिक में अवैधारिक गाति निधारी है किया र महार वहां। उन्होंने यह करवत निवान निवान अपानर बाजरा देलन स्केशन वर देलने यातायात अवरूद करती हुई मीइ पर प्रशासन के द्वारा गोली चलाई गई भी जिसमें वर्ष समिका की गुरुप बुई भी । इस गीली चालन के औषित्य की वेसने के लिये राज्य शासन ने यव जांच आयीग वैठाया बार । इस जाय आस्पीय में जो निर्मार्ट प्रकृत की और जनमें दिली श्वार के निक्द गीनी ए विवासित निक्या शिवार निवधी गई थी है। जानि आस्थी न के समक्ष तत्का लिन सहायक समाधुकत, रायपुर भी पाँड ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की भी । उसमें भी दिलीयपत्त के विरुद्ध दिन्यानयाँ भी जिनसे यव प्रकट बीता है कि फिलीयपंत की गीतिविधियाँ कही ही सबयीगास्थक नहीं रही सभा उनका उद्देशम औदी शिक बगत में व्यवस्था या नाति वनाय रध्ने का नहीं था । इन बीनी तेवी के आधार पर मी दिलीय पश के विश्व इनभरणस निकलता है। की गुन्ता ने यह अध्यक्त किया कि यापि साथ विधान के नियमानुसार उन नेवीं की प्रकरण में प्रवर्तित नहीं किया गया है किन्तु अस प्रकरणी की देवते हुये इन तेवी पर निचार तो किया हो जा सकता है तथा इन्हें वेदोठवूरे एवन केदर्वे एक एक विकास विषे विषय अधित महत्व भी विया जा सकता है।

(16) दितीयपर की और से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है। भाष आयोग की रिगोर्ट इस प्रकरण की निराकरण के नुष्टि से कोई महत्य नहीं रथती । यह रिपोर्ट म तो ज्यापिक निर्णय है और म ही इस न्यायालय पर बंधनकारक है। उनका यह भी तर्क था कि बी पाह सबायक बमायुक्त की जी रिपोर्ट है वह भी किसी भी प्रकार से म तो इस प्रकारण में पढ़ी जा सकता है और न की उसका कीई साम प्रधासक की मिल सकता है। उनका यह भी तर्क था कि भी पांडे को कथन करमाथा जाना भाविये था व उल्ले पश्चात् हो उन्ले कथनी ते आधार पर दितीयपं के चित्र की ई इन्फरन्स निकाला जा रकता था गा गत वनाया षा सकतां था।

48 (1)

प्रश्न हम सकी पर भी गीरिस्तापूर्वक विचार किया ।
वहां सक जांच आयोग की रिमोर्ट का १२ में है गत्र गिविष्म की सम्माणभीय तो है, क्योंकि एक जिला एमें तम स्वागायीश के दारा गियार की
हुई हैं । उसके अवलोकन है। यद भी प्रकट होता है कि उसमें दिसी यपन
है विद्यु मिन्द विपरित हिम्मिणयाँ की गई हैं । इसके काच्यू यूकि
वह रिपोर्ट इस स्थागालय वह वैयंगकारक म होने के कारण उसमें की गई
हिम्मिणयों के आधार पर ही होई मत बमाना उचित नहीं होगा ।
इस वर्ष आयोग के समग्र गोली चालन के औ विस्य का प्रतम बा सथा जाँच
आयोग में गोली धालन की अनुधित मत्री गाना था । जहाँ सक बी
वाह की रिपोर्ट का प्रतम की अनुधित मत्री गाना था । जहाँ सक बी
वाह की रिपोर्ट का प्रतम की अनुधित मत्री गाना था । जहाँ सक बी
वाह की रिपोर्ट का प्रतम की अनुधित मत्री गाना था । वहाँ सक बी
वाह की रिपोर्ट का प्रतम है उसमें स्वीय स्था के प्रति आवेप लगाना
चाहता था तो उत्त की पाँड का कथन करवाकर अपने आदेगों की सिद्ध

. 70

की गुन्ता अधिनता ने यह भी तर्ष प्रशान किया कि कताति स्वा गुन्त मोधा गामक भेन्न के एक प्रमुख नेता भी बेकर मुद्दा नियोगी में । इनकी बरुधा उनके यह पर की गई थी । इस हर्या के प्रकार में दितीयपथा के संवालकगणों में ते भी मुल द जात, भी सन्द्रकार गास व अन्य कई न्यापित में । आसन के प्रारा अभिगुष्तगण पर हरगा करने के भावत अपराशिक प्रकार नंताया गणा था। । वस प्रकारण में रात न्यागाधिश के हारा दितीयपथं के संवालकगण को भी दोनी पाकर विक्रत किया गया था। उस निर्णय में प्रदर्भ की नव पर अन्यंत महत्त्व विया गया था। वह तेव दितीयपथं के संवालकगणों में से मुल वेव बाह के यबा ग्राम था। वह तेव दितीयपथं के संवालकगणों में से मुल वेव बाह के यबा ग्राम हजा था। वह तेव दितीयपथं का स्वश्न प्रतान था। उसमें बी इस बात का उन्तेव था कि प्रथमपथं के प्रतिहेवी युनियम को उठाया पाव तथा बीमजों का उत्योद्धन किया जार्थे। उस निर्णय में भी दितीय यस के सेवीयत संवालकगण के विरुद्ध निर्णा में भी दितीय यस के सेवीयत संवालकगण के विरुद्ध निर्णा दित्य में की में की प्रतिहास प्रथम उस किता है कि दितीय स्वालकगण के विरुद्ध निर्णा होता है कि दितीय स्वालकगण कर विरुद्ध का नारण पही

निष्क निकाता जाना थाथि कि बास्तव में ठेनेवारों दारा किमकों को निमीजित किये जाने की जो कहानी नताई गई है वह वास्तविक न बोकर भान बनावदी, पूर्णी तथा कामून के उल्लंधन करने का उद्वेशय मान बोकर असामाजिक हैं।

दिती समझ के निवदान अधिनवता को और है। यह एवं प्रमुख किया गया कि इस सैबंध में प्रमुख किया नहीं है। उनकी मुख्य आपरित यही की कि जिस निर्णय की बात प्रधापका अधिवहता कर रहे है उस निर्णय की माननीय उच्च न्यायालय, में प्रां की ही सबस्यीय खेंचीठ ने निरकत कर दिया है। यह मिर्णय अपीत इमकि 1442/97 व 1278/97 में विनांक 26-6-98 की विया निर्णय में प्रां कि विश्व किया है। यह मिर्णय अपीत इमकि 1442/97 व 1278/97 में विनांक 26-6-98 की विया निर्णय में प्रां कि विश्व किया किया कि विश्व कि विश्व किया कि विश्व किया कि विश्व कि

उस प्रकरण में दितीयमध्य के संवालकरण लियत थे। उन्हें के भी तुआ था किन्तु वह निर्णय इस न्यायालय पर वंधनकारक नहीं है। उस निर्णय में अभियुक्तरण के विक्रम निर्णय की विपरित दियाणियाँ भी किन्तु जब में पिर्णय को विक्रम निर्णय की विपरित दियाणियाँ भी किन्तु जब उस पिर्णय को वी मागणीय उन्ध न्यायालय स्व प्रव क्यायालय के बारा निरन्त कर विथा गथा है तो फिर जब तक मामनीय सर्वोच्च न्यायालय के बारा भानतीय उन्ध न्यायालय के विश्व को निरन्त नहीं किया जाता सब सक सन न्यायाधीय के निर्णय को निरन्त नहीं किया जाता सब सक सन न्यायाधीय के निर्णय को सबस्य देवर दिलीयमध्य के जिल्ला की सिरन्त नहीं किया जाता

प्रथमपद्म के विद्वास अधिवयसां की गुन्सा का सब भी तर्क था कि द्विसीयपद्म के द्वारा विमा कोई वैधानिक प्रक्रिया अपनाये संवर्ष से संवरण परिक्रिक्ट में उल्लेखित करिकों की सेवायें स्वास्त की

1. 1.1

🏸 🚰 भारती है। इस प्रकार दिसीयनम् के बुरून जिल्ह्या की समस्याना, क्षेत्रकावारी व क्षेत्रक्षेत्र है । दिलीयवर्ध के इस प्रकार की कार्यवाची के उपन स्मिक्नन अपने जीवन निर्वाद के अधिकार से बी बीचस की गये है । पुष्ता के अनुसार जीवन निर्वाद का सास्वर्य मात्र मोजन, पानी या मिन-कपड़े से मही है, किन्तु उसका तारचर्य सम्मानमम्ब जीवन जीने बी पुरसा में अपुराय बितायाया में यम बीमार्ग को सीमधाम के जीतरीत प्राप्त जुलपुत अधिकाश के बीधित कश्मे बीधियान के प्रावधान का सी अन्तर्भन किया है समा प्रथम अपराध किया है। इस कारण भी अन्हे देखितं किया जाना अरुपैतं आवश्यक है । भी गुण्ता ने मेरा ध्यान महननीय बस्बई उड्ड ज्यायान्य के निर्मय 1992 है। ई इल. इन. वे. पुष्ट-226 \$237\$ की और अवस्थित किया । इस तर्न का उपलर दिशीयका की और है यह बहबर वियां गया कि हितीयका में किती प्रकार के म्बन्धेंब या मनभागा क्याबार नदी किया है। अनेके अनुसार विगरिक 17-12-90 की बागिक रामानमा के म जानि है। ने अभि करना पक्षा । करती किली तकस की की है ज़िक्ट नहीं भी हर बात की तेवर बरिक ही काम पर गर्द अपने की बन्ने बिलीयमध्य की कीई ब्रांट नहीं थी । बन्ने कार ही बिलीयमध्य का यह भी तर्ज था कि ये जयकित ती उसने विभिन्न ये की गर्दी, ती फिर हम व्यक्तियर के भाष सनगानापूर्ण या प्रवेष्ट्रावादी व्यवहाद हितीयपरा के बारा किये जाने का कीई इस्त की नहीं उठता । मैंने दन तकी पर र्णनीरतापूर्वक विवार किया । ऐसी क्थिति में यह कहना उचित नहीं बोगा कि दिलीयका का कोई कृत्य क्वेच्छा धारी या मनमानीपूर्ण था, देती क्यिति में इसं ज्याय कुन्हात का लाभ वर्तमान प्रकरण में प्रकापक्ष को नहर्स मिल सकता 🖁 ।

की गुष्पा अधिकता का यह मी तर्क था कि दिनी क्या कर के का क्ष्युक था। उनकी क्ष्या गढी थी कि किसी के किसी के किसी के किसी के किसी के किसी के किसी किसी प्रकार से प्रकरण नीवत रहे तथा प्रकरण से किसी के किसी के किसी प्रकार न कर तके। इस उत्देश्य से ही इस क्ष्या में किसीय यह भागनीय उच्च क्यायानय में अवश्ववश्व

तामहेदसम्बद्धिः समझ्यासम्बद्धाः स्थानम्बद्धाः स्थानम्बद्धाः स्थानम्बद्धाः प्रतीयम्ब की एक भी कार्यवादी की गामनीय उद्द असम्यानक ने स्वीकार मध्ये किया । इसका तास्पर्य यह है कि जिल्ही स्पक्ष के सारा की बाने बाली बार्बवाहीको क्षित्रम अनुधित थी, इस प्रकार से की गई withing of sumunitie becomes in पिक्की अपूर्णि अपने हैं काम में दिशी गर्या की मनी की जाना गालिये करता करते कि कि मा किसी सरका भी मीजार किया समाचा वासिंग । करा could be used for he will growner by bear acceptor growner were cold more many contra पुरुष अन्य बन्दे तीर अध्यानित किया । इन वर्णी का किस्तामाधी ल पत्र कवाले कारकार अवस्त्रीक अकारा कि जिल्लाम के असिनीस की अधिकार किसी गावस की प्राप्त था, उनके अंतर्गत की उस्ते कार्यवाईयाँ की के, उसकी कीई भी कार्यभावी अवेध या अनुधित नहीं थी । याव वी गुम्ता के अनुसार जन कार्यवाईयों में इस प्रकार की कुमार्वना होती ती माननीय उक्त ज्यापालय के उन कार्यवाहियों के संबंध में अपना मत ज्यवत करते पुरू वितीयपत्त की अत्रतीचना कर सकता था । मैंने इन तको पर मी विचार किया । यह राजी है कि विकास सार्थ १७६ १ कर-का क्षेत्र है । प्रकृषका सीमाविक लगी १००% M there werd, both stat bond to the return the species in the species we save मह मान्तीम उपन प्याचाम्य में भारत । भा । जिल्लाप्रवाद है सर्व एस है किये जा रहे है, वास्थव में है शर्क भागभाग उपन प्रमाणक की पूर्णिय के समक्ष क्रिये जाना धार्मिये थे, जिससे कि वह स्थानालय अपने मुल्यवान विवार प्रकट करता । वृक्ति माननीय उच्च न्यायालय ने दितीयपक्ष के द्वार दारा की गई कार्यवाईयों के संबंध में भी गुप्ता अधिवस्ता के बताये अध्यक ए० अनुसार कोई मत अयवस मधी किया है, इसी निये में भी ऐसा कोई

मत करकत करका उचित नहीं संख्या है।

क्षित विश्व कर कर कर कर कर कर है।

क्षित विश्व कर तक दम क्ष्मांक । व 2 कर पूर्व के, दिली वृद्ध के

क्षित म अधिवयता का तक यह भी था कि तैयम के आदेश में जो विवयवस्तु हैं है मार्ग । व 2 है, के देशन की बद्दीरारी अथवा अस्थ सुविधार व भारी दिये जाने के तंबंध में है। इस संबंध में प्रथमवध की और से कीई उचित प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गर्म है। देशन बद्दीतरी



केंद्री पुष्टका में पुरत्ता प्रशान से दिशीयपत्त यह ति नहां कर स्था है कि द्वाहाय में किसी क्यां ता या क्यां किया का का केंद्रा विद्या नया था सदा निन्धें केंद्राहों का क्षिण बताया नया, दे दाहता में ठेक्द्राहों के ही बसिय है। असे विद्यार यही ति हुआ है कि बिल्मिय दिशा विद्यार के उताम में दिशाय का उताम में दिशाय का उताम में दिशाय का निन्दी, पानी से काम करते हैं। विद्या का स्थान के पान में विद्या है कि स्थान के दाहा प्रवत्य कराये हैं कि प्राप्त में ति ति हुआ वाली से काम करते हैं। विद्या विद्या है कि प्राप्त के दाहा प्रवत्य कर कि विद्या है कि स्थान करते हैं किया निर्दा का किया करते हैं। विद्या का किया विद्या का किया विद्या है हिंदी का किया विद्या है किया का किया विद्या है किया विद्या है हिंदी के प्राप्त हैं। असे प्रतिकृत में उनमें विद्या की स्थान है।

की ती ताबारणा निष्य को वली है कि यदि तेवा las! लमराप्ति की उधित वकी प्रधा नाता है, तो क्रांगिक गुरुशरूपनर मी तकायता व लेपूर्ण विक्रमा देशन याने का पात्र की जाता है। क्षत प्रमहण्या मैं प्रकार तक विद्युति तेश्य की स्थानवार कर पुत्रम 57 8. वी मुस्ता ने 1993 है।। हे क्ल. क्ल. के. वृद्धा 1994 है। हे क्ल. क्ल. के. वृद्धा 1994 है। क्फ कर अहर बुक्ठ 389 के निर्माय प्रशास करने यह नहा कि धन प्रकरण में विभिन्नका लेक्नी विक्रमा देशन पाने के पात्र है। मैंने हन विक्रियों पर गंजीरतापूर्वक विचार किया । अतके बावमूद म. पु. उस्य न्यासानम के भी विवर्ण 1989 वस बी. एम. के पुष्ठ 457 व 1998 रम. वी. एम. प्रक्राप्त, पुष्टव ३५५ है । १००८ च्या थी. च्या वस्त अपर, युवठ ३५५ है निवास में माननीय की स्वायमुर्ति के आहे. तिलारी जी ने अन मह क्षा कर किया है कि केंद्र देविय बाबर्त एपवट सादपुरूप गोपा नहिंहे, उस वह प्रमाणा शीना वास्ति, उत्तर्भे वत्त्वात सी धन तसावता वह अरदेश दिवा वा सकतर है । त्यांगाम पुनरणा में उपलल सीर वर म ता शाला ने विकाधवारत कार्य थी, न बी रवाश वाव प्रान करता गया था.। इतने साम की नेवा समार्थित वर्ष 1990-91 की है। मामिमोर् में मुश्या बम यवापालय हैं।। पुर और देशिय हरिया हिंदियार



में जिल्ला प्रश्नित अवस्थि में पुनरका पुरत्त नहीं किया । काद में दर्भ 93
में पुनरका शासन ने त्यिकित विधा है । पुनरका में 511 कमिनी में से मान क्ष्म कमिन का ही कथर कराया नमा है । हन सब तथ्यों को देखी हुए मेरे मत में परिविद्ध में उन्नेतित कमिनी का पिनमा देखा दिनाने का को में मिनी दिनाने का को में मिनी पिनमा दिनाने का को में मिनी के में मिनी कि । मेरे गत में को मानकान उक्च क्या पामानक, में पुन के किया शिक्ष कि । मेरे गत में को मानकान उक्च क्या पामानक, में पुन्न के प्रश्नित है । असे प्रमुख विकास राजाराम में प्रश्नित है । असे प्रमुख विकास राजाराम में प्रश्नित है । असे प्रमुख विकास राजाराम में के प्रमुख पुन क्या प्रमुख विकास विकास के किया है । असे प्रमुख विकास विकास की प्रमुख विकास की प्रमुख विकास के प्राथित विकास की प्रमुख विकास विकास की प्राथित की प्राथित की प्राथित विकास की प्राथित क

अब पुश्च ब्राता है, युवाक्यापना की तहायता ने तेथेश में। बैता कि इसर क्तावा नवा है, यदि तेवा त्रमाप्ति अवैध है, तो पुनः रमापना ही साधारणा निवम 🛢 । इस नियम के कर अववाद भी हैं। वैते वहाँ पद्मारों में तैनीय मुद्धार न की या वहाँ पुनारशायका तेशन न हो या वहाँ पुनश्रमापना के नई गैजीर समस्या उत्यन्न होने ताले। हो वहाँ बुनःत्यापनां के तथान पर मुखावया विनाधा या तत्ता है। वर्तमान पुकरण के सम्बद्धान्त्रक पुकरण है कि पुकरण सम म्यायालय में नत 6 वर्ष ते पन एका है व तैया समागित ती वर्ज 1990-91 की बताई नई है। धन नम्बी अवस्ति में निश्चित ही धन बुधरणा के स्नाम अल्यान नियोजित हो गते लगा व तहाँ रुवार्य या क्षोर मध्ये कार्रियः असली वृद्धि संबद्धालयम् विश्व किरोगियामा कर महत्त्वम भी या कि उल्ले अन्य समिन्द को नोमरी यर राम लिया है नीन दिशीश्वपंश के धर्मी काम कारते हैं, वे अपने काम में निप्का त अनुम्ही की गये क्षेत्रि व तेया ते पूथक किये गये बागिकी को काम की वेरिटन नहीं रही होगी, यह शोधा या सन्ता है। जो नोग दिलीय-पत्त के यहाँ काम कर रहे हैं, उनते तेकीय भी दिलीय गंश ते मधुर लॉगे. इतकी भी पूर्ण तैभावना है। इतके विवसीत प्रमाणा व तकीं से वह

अर्थात कोगा है कि विशिष्य में प्रकार के तथक अपने नहीं है। क्राया प्रशेष निविष्य ही परिविष्ट में अल्पेकिश करिली घर रहेगा । अशीत कोमी में वाताचरण सोखादुक्ष शोगा, क्रामी तैभावना मुद्दे क्य दिला है। क्षतने उपोच के उत्पादन पर भी विषयीत प्रभाव पद्द स्कृता है।

विषे असे अधिकी को क्याक्यायका की सहाज्या दी जाती है. किरे बल्यों की विकास में जान कार्यहार मानियाँ की मांकड़ी है बारट करना कोनाः । अस प्रकार दर्शमान पुरुषका के कामको के कथान पर दूधरे छाने की अभिक्षेत्र के निधरेयन की मैशीर सारधा उत्पन्न क्षीती । मेरा ऐता मश में कि अन प्राधिकश्या है दिल्लान की स्वत्या का निर्देश रण रेगर करना खाटिये, जिल्ले त्यस्या का निराकरणा भी की चारे । नई समस्या उत्पाल न हो । किसे विवासिकों स्थापन वृत्रका में पुनःस्थापना के क्याम पर मुखरतके कर भूमकाम हो स्वानी थिए व तपावशारिक मार्ग है। वेरे बन मत को भी मामनीय उद्य न्याप्यानय, मठ पुर है निर्मात 1997 यम. यो. या. वार. व्यक्त 658 (कुरतीराम विकाद राजाराम वेज पुणिकती ते तमर्थेत मिलक्षण है । इस पुनरकार में क्य स्थाप (लंड में उनकी प्रता की यह विकल्प विदा भा कि यह दा को अधिकों को पुरश्लाकित वर धा मुखानके कर हालान करें । नियोग्तर ने जासार अने पुरस्का करी के दौरान प्रन्य धानिकों को कर पर रच लिया था । भाननीय उत्य-न्यावान्य में बड़ी यस न्यन्त निवा था है। निवीना ध्य न्यायाय है आवेशानुसार मुझावते का भुमतान करके अिंडी की रोधा में रखी से अव सकता है। इस प्रकरणा में मुखायन की रक्ष नेरे प्रारा निर्धारित रक्ष ने भी कम थी।

क्रिकेट यह पुनरका 311 समिनी कर है। जुन्नवा में मान एक विश्व ला करत हो करवा है। इस तार्ता के मुनुतार उसका नेत्र र 500-600/-भा म उसका तेत्रकाल 3 धर्म का भा । जन्म कियी बिध्य कर करत म पराचे है क्ष्री की श्राधार माना गाता है। हैनों किया है वह 20,000/-पृति प्रसिक सुभाधना तमुचित होगा। पुनरका ने तिस्थित रहने की बद्धि तथा माननीय की स्थादमाति ए बार विवाद: ने तारा स्थान कि महे

रावपुर, विनोध । ६ । ६ १०. १%

े रहे. आहे. जिले हैं सदस्य: भोद्योगिक स्थापाठय में बड़ संदर्भार-अध्यूष रेफरेंस कुमझंक 06/एम. पी. आई. आर. स्वट/96

जनरम तेकेटरी. प्रगतिमीत इंजीनियरिंग अग्रिक तंप मध्या हाऊतिंग बोर्ड कामोनी. इण्डल्ट्रीयल इल्टेट मिनाई जिना-पुर्ग.

-- वृथ्य वश्

विक्ट

भिनाई वायर्त निमिटेड, भिनाई .

- - द्वितीय पश्



त्मद :- शी पी० जार० पेंडते, सदस्य पत्र .

प्रथम पश्च की और ते की एतं एतं गुप्ता, अभिमाधक . दितीयपंथ की और ते की एगं एनं स्थात, अभिभाषक .

#: 3015, fc7fs 16.10 99 :#

३१ उप तथिन, इस विभाग, मण्डा शांतन ने यह तंतीस होने पर कि प्रथमध्य एवं दितीयपद्य है सम्य और्थ गिक विदास उत्पन्न हो गये हैं और उनका तमाधान वैद्य निर्णयार्थ तेंदर्भ किये जाने के अतिरिक्त, अन्य किती मार्ग ते तेंभव नहीं है, धारा 51 मण्डा प्रणादिक तेंध्य अधिनयम 1960 कि मौति विश्व विश्व के अंतर्गत तंनग्न अनुत्वियों में निर्देश्य और्थ कि विदास वैद्य निर्णयार्थ हत न्यायालय को तदिनित किया है।

\$2 किन प्रति पर इत न्यायालय से मत याहा गया है वे निम्नानुसार है:-

श्वा देतन एवं भत्तों के पुनरीक्षण का औ चित्य है १ यदि हाँ तो देतन महिणाई भएता एवं अन्य भरतों की क्या योजना होना गाहिये एवं इत तंबंध में नियोजक को क्या निर्देश दिये जाना चाहिये १ २० क्या प्रतिवर्ध । 5 दिन का आकृतिक अवकाश, । 0 दिन का त्योहारी अवकाश तथा ३० दिन का चिकित्ता अवकाश दिये जाने का औ चित्य है १ यदि हाँ तो इत तंबंध में नियोजक को क्या निर्देश दिये जाना चाहिये १

अ क्या संलग्न परिशिष्ट में उत्लेखित रम्मताईन का तैया पूथकी-करण वैध रखें उचित है १ यदि नहीं तो इस संबंध में नियोजक 3008

१८ ६ **०८१ । १४५५** रायपुर, दिनांकः :----

d.

श्रीतिविधः-

जनरत रेक्केटरी,प्रगतिशील इंजीनियरिंग अभिक सैंघ, इण्डस्ट्रीयल इस्टेट नेंदिनी रोड, भिलाई, दारा:- श्री एस एल गुपता अभिमाधक भिलाई १००५०१ रिक्षणेवस कारिटंग लिभिटेड,उरला गुणिट-४०-१। राम्पुर

श्रीमान उप सचिव, श्रम विभाग, श्रम मंत्रालय, मठप्राठ भोपाल

Joint Registrar,

Industrial Court

Bench-Ruipur (M P.V.)